



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276049
CG-DL-E-07092026-276049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2026/भाद्र 11, 1948

No. 537]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/SHRAVAN 11, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

फा. सं. पीएनजीआरबी /सांख्यिकीय/अधिनियम(डीबी&आईएस)/23/2025-(ई-6331).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (ज) और धारा 51 के साथ पठित धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (x) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (डेटाबैंक और सूचना प्रणाली) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है;
- (ख) “बोर्ड” से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) “इकाई” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (त) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;
- (घ) “आंकड़े” से किसी इकाई द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत, दाखिल, उपलब्ध कराए या रिपोर्ट किए गए ऐसे किसी भी सूचना या विवरण से अभिप्रेत है, चाहे वह संरचित हो या असंरचित तथा इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में हो, जिसका उपयोग अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रोसेसिंग, विश्लेषण, सत्यापन, भंडारण या ऐसी अन्य विनियामक कार्रवाई के लिए किया जाता हो;
- (ङ) “आंकड़ों से पहचान संबंधी जानकारी हटाना” से कंपनी की पहचान सुरक्षित करने के लिए सूचना को इस प्रकार संशोधित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें आंकड़ों में मौजूद पहचान संबंधी जानकारी को एन्क्रिप्ट या हटाकर पहचानकर्ताओं को अनाम बनाया जाता है;
- (च) “आंकड़ा प्रकाशन” से बोर्ड द्वारा एकत्र और तैयार किए गए आंकड़ों एवं सूचनाओं का ऐसा समूह अभिप्रेत है, जिसे उपभोक्ताओं और आम जनता की जानकारी के लिए समय-समय पर प्रकाशित या साझा किया जाता है, जिसमें विश्लेषण और रुझान भी शामिल होते हैं;
- (छ) “प्रोसेसिंग” से आंकड़ों पर पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वचालित की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्रवाइयों से अभिप्रेत है, जिसमें संग्रह करना, रिकॉर्ड करना, व्यवस्थित करना, संग्रहीत करना, प्राप्त करना, उपयोग करना, बदलना, मिलाना, साझा करना और प्रसारित या प्रकट करना शामिल हैं;
- (ज) “अनुसूची” से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट प्रारूप भी शामिल हैं;
- (झ) “विनिर्दिष्ट समय” से संबंधित अनुसूची में आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा अभिप्रेत है;
- (ञ) “सांख्यिकीय रिपोर्ट” से बोर्ड द्वारा एकत्र और विश्लेषित आंकड़ों को तालिका, चार्ट, सारांश या अन्य रूप में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसका उद्देश्य सांख्यिकीय जानकारी, महत्वपूर्ण निष्कर्ष या रुझानों को बताना है;
- (ट) “संरचित आंकड़े” से ऐसे आंकड़े अभिप्रेत हैं जो पहले से निर्धारित प्रारूप में व्यवस्थित हों, जैसे रिपोर्ट, रिकॉर्ड, दस्तावेज, विवरणियां, पंक्तियां, कॉलम, वर्गीकरण और मेटाडेटा, ताकि उन्हें आसानी से संग्रहित, प्राप्त और सांख्यिकीय रूप से विश्लेषित किया जा सके।
- (ठ) “असंरचित आंकड़े” से ऐसे आंकड़े अभिप्रेत हैं जो पहले से निर्धारित प्रारूप में व्यवस्थित नहीं होते, जैसे पाठ, दस्तावेज, चित्र, ऑडियो या अन्य गैर-सारणीबद्ध सामग्री, जिन्हें सांख्यिकीय विश्लेषण से पहले व्यवस्थित या परिवर्तित करना आवश्यक होता है।

- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. अनुप्रयोग

ये विनियम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन, आयात और निर्यात में लगे या इसमें संलग्न होने की इच्छुक किसी कंपनी पर लागू होंगे, जिसमें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाना या नगर गैस अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, निर्माण, प्रचालन या उसका विस्तार करना अथवा तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना और संचालन करना शामिल है।

4. आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य

(1) आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना;
- (ख) कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;
- (ग) कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना;
- (घ) अनावश्यक निवेश से बचना;
- (ङ) सामान्य वाहक या संविदा वाहक के लिए ओपन एक्सेस और परिवहन टैरिफ का विनियमित करना;
- (च) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों के लिए तकनीकी मानकों और विनिर्देशों, जिसमें सुरक्षा मानक भी शामिल हैं, को निर्धारित करना;
- (छ) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना अथवा उनका समान वितरण सुनिश्चित करना या उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना या निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना;
- (ज) अधिनियम, नियमों और समय-समय पर अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऐसे अन्य कार्य करना।

- (2) बोर्ड, कंपनियों द्वारा दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है और उनके आधार पर सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी कर सकता है। ये रिपोर्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी और अन्य माध्यमों से भी साझा की जा सकती हैं।

5. आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रारूप और तरीका

- (1) ऐसी कंपनी, जो नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या उसका विस्तार करने का कार्य कर रही है, अथवा जिसे ऐसा नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या उसका विस्तार करने का प्रस्ताव करती है, वह अनुसूची-क में निर्दिष्ट आंकड़ों को उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
- (2) प्राकृतिक गैस के परिवहन और/या विपणन के लिए किसी पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या उसका विस्तार करने में लगी अथवा ऐसा करने का प्रस्ताव रखने वाली कंपनी, अनुसूची-ख में निर्दिष्ट आंकड़े उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
- (3) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन और/या विपणन के लिए किसी पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या उसका विस्तार करने में लगी अथवा ऐसा करने का प्रस्ताव रखने वाली कंपनी, अनुसूची-ग में निर्दिष्ट आंकड़ों को उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
- (4) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों में तकनीकी मानकों और विनिर्देशों, जिसमें सुरक्षा मानक भी शामिल हैं, तथा डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित पाइपलाइन और अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण एवं प्रचालन के संबंध में, कोई कंपनी अनुसूची-घ में निर्दिष्ट आंकड़ों को उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
- (5) तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल का संचालन करने वाली अथवा उसकी स्थापना या संचालन करने की इच्छुक कोई भी कंपनी अनुसूची-ङ में निर्दिष्ट आंकड़ों को उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
- (6) शुल्क और अन्य प्रभार लगाए जाने के प्रयोजन से प्रत्येक कंपनी अनुसूची-च में निर्दिष्ट आंकड़ों को उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
- (7) पीओएल की रिफाइनिंग, परिवहन और भंडारण में पंजीकृत एवं परिचालनरत प्रत्येक कंपनी, रिफाइनिंग, परिवहन और भंडारण से संबंधित आंकड़ों को अनुसूची-छ में निर्दिष्ट अनुसार, उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की उन विशिष्ट गतिविधियों में पंजीकृत और परिचालनरत प्रत्येक कंपनी, जिनके लिए आंकड़े मांगे गए हैं, एनएचआईएमएस पर आंकड़े अनुसूची-ज में निर्दिष्ट अनुसार, उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
- (9) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड विनियम 4 के प्रयोजन से ऐसे आंकड़े मांग सकता है, जो इन विनियमों की किसी अनुसूची का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे आंकड़े सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्दिष्ट तरीके और माध्यम से तथा उसमें निर्दिष्ट तारीख तक प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (10) इस विनियम की उप-विनियम (1) से (8) में निर्दिष्ट आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए, कंपनियां बोर्ड द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्दिष्ट तरीके और माध्यम के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत करेंगी, जो तकनीकी विकास, परिचालन तैयारी या प्रशासनिक व्यवहार्यता के अधीन होगा:

परंतु यह कि, जहां कोई कंपनी इन विनियमों के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत करती है, और वही जानकारी किसी अन्य लागू विनियम के तहत भी मांगी गई है, तो बोर्ड उस जानकारी को दोनों विनियमों के तहत प्रस्तुत किया हुआ मान सकता है।

6. आंकड़ों और सूचनाओं की गोपनीयता एवं अनामीकरण

- (1) बोर्ड इन विनियमों के अंतर्गत किसी इकाई द्वारा प्रस्तुत और उस इकाई द्वारा गोपनीय के रूप में चिह्नित आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी सूचना का प्रकटीकरण अधिनियम, समय-समय पर अधिसूचित विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार ही करेगा:

परंतु यह कि, यदि बोर्ड की राय में किसी इकाई द्वारा गोपनीय के रूप में चिह्नित कोई आंकड़ा जनहित में और अधिनियम तथा अधिसूचित विनियमों की वैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रकट किया जाना आवश्यक है, तो बोर्ड सुनवाई का अवसर देने और लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद, ऐसे आंकड़ों का पूर्ण या आंशिक रूप से पहचान संबंधी जानकारी हटाने की अनुमति दे सकता है या उन्हें गोपनीय रखने के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

परंतु यह भी कि, पहले परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी कंपनी द्वारा गोपनीय बताए गए आंकड़ों को सार्वजनिक कर सकता है, जहां —

- (क) संबंधित आंकड़े पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हों; या
- (ख) संबंधित कंपनी की पूर्व लिखित सहमति से प्रकटीकरण किया गया हो; या
- (ग) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यक हो; या
- (घ) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण का निर्देश दिया गया हो।

7. आंकड़े मांगने और उनके सत्यापन की शक्ति

- (1) जहां बोर्ड किसी कंपनी द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए किसी आंकड़े या सूचना की पूर्णता, शुद्धता या संगति का सत्यापन करने के लिए आवश्यक समझता है, वहां वह सूचना के माध्यम से कंपनी को ऐसे अतिरिक्त आंकड़े, रिकॉर्ड, स्पष्टीकरण या सहायक दस्तावेज ऐसे उचित समय के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि उस सूचना में निर्दिष्ट किया जाए।
- (2) जहां आवश्यक समझा जाए, बोर्ड इन विनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आंकड़ों या सूचनाओं के सत्यापन के सीमित उद्देश्य के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी या तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति अथवा एजेंसी को अधिकृत कर सकता है:

परंतु यह कि, जहां बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी, सक्षम व्यक्ति या एजेंसी को अधिकृत किया जाता है, वहां वह—

- (क) सत्यापन के दौरान प्राप्त सभी सूचनाओं की कड़ी गोपनीयता बनाए रखेगा;
- (ख) ऐसा सत्यापन शुरू करने से पहले हितों के किसी भी टकराव का खुलासा करेगा; और
- (ग) सूचना का उपयोग केवल इन विनियमों के अंतर्गत अधिकृत उद्देश्यों के लिए करेगा।

8. चूक और उसके परिणाम

- (1) प्रत्येक कंपनी इन विनियमों के अनुसार पूर्ण, सही और प्रामाणिक आंकड़े, सूचनाएं और विवरणियां प्रस्तुत करेगी तथा समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतेगी।
- (2) बोर्ड इन विनियमों के अनुपालन की निगरानी कर सकता है और आवश्यकता होने पर कंपनी से स्पष्टीकरण, सुधार या अतिरिक्त सूचना मांग सकता है।
- (3) यदि बोर्ड की राय में किसी कंपनी ने निम्नलिखित में से कोई चूक की है, तो वह उप-विनियम (4) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर सकता है, अर्थात्:—
 - (क) निर्दिष्ट समय के भीतर आंकड़े, सूचना या विवरणियां प्रस्तुत न करना;
 - (ख) अधूरी सूचना प्रस्तुत करना; या
 - (ग) गलत, मनगढ़ंत या छेड़छाड़ किए गए आंकड़े या सूचना प्रस्तुत करना।
- (4) उप-विनियम (3) के प्रयोजन के लिए, बोर्ड निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा:—
 - (क) बोर्ड चूक करने वाली कंपनी को एक सूचना जारी करेगा, जिसमें उप-विनियम (3) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट चूक का उल्लेख होगा तथा ऐसी चूक को सुधारने और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए समय-सीमा दी जाएगी।
 - (ख) यदि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करती है, तो उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
 - (ग) यदि कोई कंपनी उप-विनियम (2) के अंतर्गत बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित सुधारात्मक अवधि के भीतर चूक को सुधारने में विफल रहती है, या इस विनियम के उप-विनियम (3) के खंड (ग) के अंतर्गत चूक करती है, तो वह अधिनियम की धारा 28 के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत सिविल दंड लगाए जाने के लिए उत्तरदायी होगी:—
 - (i) बोर्ड कंपनी को सूचना जारी करेगा और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा;
 - (ii) चूक और कंपनी के उत्तर की जांच करने के बाद, बोर्ड या तो परामर्श जारी कर सकता है या सिविल दंड लगाने का आदेश पारित कर सकता है। यह दंड प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा और लगातार जारी रहने वाली चूक की स्थिति में अतिरिक्त दंड प्रति दिन दस लाख रुपये तक हो सकता है।

9. सूचना का प्रदर्शन और प्रकाशन

- (1) प्रत्येक कंपनी उपभोक्ताओं के लाभ और आम जनता में जागरूकता के लिए, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट या निर्देशित आंकड़ों या उनके अंशों को, निर्दिष्ट तरीके और समय के भीतर, अपनी आधिकारिक वेबसाइट तथा ऐसे कार्यालयों या व्यावसायिक परिसरों में प्रदर्शित और प्रकाशित करेगी।
- (2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित सूचना कंपनी के खर्च पर अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी।

10. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

बोर्ड के सदस्यों या बोर्ड के निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने वाले किसी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्यों के अनुरूप सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के आशय वाले किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

11. व्याख्या और कठिनाइयों का निवारण

यदि इन विनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो बोर्ड, आदेश द्वारा, इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण या व्याख्या जारी कर सकता है, जो अधिनियम तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप होगी:

परंतु यह कि, ऐसा कोई आदेश अधिनियम या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी विनियम के अंतर्गत किसी मूल अधिकार, दायित्व या देयता को संशोधित, विस्तारित या सीमित करने का प्रभाव नहीं रखेगा।

परंतु, ऐसा कोई आदेश अधिनियम या बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किसी विनियम के तहत किसी के मूल अधिकार, जिम्मेदारी या देयता को बदल, बढ़ा या घटा नहीं सकता।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./306/2026-27]

अनुसूची-क (नगर गैस वितरण)

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 13 और 14(10) का संदर्भ। ये विनियम 19 मार्च, 2008 को जी.एस.आर. 196 (अ.) द्वारा अधिसूचित किए गए। प्रारूप ई6 और ई7 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2025 के विनियम 3 के उप-विनियम (I) के खंड (i), उप-खंड (ii) द्वारा शामिल किया गया है, जो 25.04.2025 से प्रभावी है।]

सीजीडी क्षमता निर्धारण विनियम

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2015. अनुसूची-क [विनियम 5(5)(vi) देखें]

मासिक

अनुसूची-क : प्रारूप सीजीडी-1	पीएनजी कनेक्शनों और बिक्री पर मासिक रिपोर्ट					
पीएनजी कनेक्शन का प्रकार	कनेक्शनों की संख्या (जिला-वार)			बिक्री (एससीएम) (जिला-वार)		
	पिछले माह की स्थिति	चालू माह के लिए	संचयी (प्रारंभ से)	पिछले माह की स्थिति	चालू माह के लिए	संचयी (वित्तीय वर्ष)
घरेलू						

वाणिज्यिक						
औद्योगिक						
कुल						
भौगोलिक क्षेत्र के लिए घरेलू पीएनजी कनेक्शन						
चालू माह तक यथानुपात लक्ष्य		चालू माह तक संचयी			कमी (%)	
पीएनजी कनेक्शन के लिए लंबित पंजीकरण (घरेलू ग्राहक) – भौगोलिक क्षेत्र-वार						
0-30 दिन						
31-60 दिन						
61-90 दिन						
90 दिन से अधिक						
चालू माह के लिए पीएनजी पंजीकरण की कुल लंबित संख्या						
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा: कंपनी द्वारा जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्तूबर और नवंबर माह की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 20 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर (तिमाही समाप्ति वाले माह) की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी सही आंकड़े समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।						

मासिक

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-2		सीएनजी स्टेशनों और बिक्री पर मासिक रिपोर्ट				
माह एवं वर्ष के अनुसार	सीएनजी स्टेशन (संख्या)	संपीड़न क्षमता (कि.ग्रा./दिन)	चालू माह के लिए		चालू वित्तीय वर्ष के लिए संचयी	
			कि.ग्रा.	एससीएम	कि.ग्रा.	एससीएम
लक्ष्य						
उपलब्धि						
कमी (%)						
सीएनजी स्टेशन कोड/संख्या						
सीएनजी स्टेशन का नाम और स्थिति						
चालू होने की तारीख						
सीएनजी स्टेशन का पूरा पता						
जिला				प्रभार क्षेत्र		
अक्षांश एवं देशांतर						
सीएनजी स्टेशन का स्थान						
सीएनजी स्टेशन का प्रकार						
सीएनजी स्टेशन का मॉडल						
संचालन किसके माध्यम से						
ओएमसी का नाम						
संपीड़न क्षमता (कि.ग्रा./24 घंटे)						
कंप्रेसर/बूस्टर की संख्या						
डिस्पेंसिंग यूनिट की संख्या						
सीएनजी स्टेशन कोड	प्राकृतिक गैस की बिक्री (कि.ग्रा.)	रूपांतरण गुणांक		प्राकृतिक गैस की बिक्री (एससीएम)		
सीएनजी स्टेशन 1						

सीएनजी स्टेशन 2			
सीएनजी स्टेशन 3			
सीएनजी स्टेशन 4			
आदि			
कुल (बिक्री)			

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा: कंपनी द्वारा जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर माह की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 20 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर (तिमाही समाप्ति वाले माह) की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी सही आंकड़े समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

मासिक

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-3		पाइपलाइन अवसंरचना और सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) पर मासिक रिपोर्ट						
		स्टील			एमडीपीई			स्टील + एमडीपीई
इकाई ☐		इंच (व्यास)	कि.मी. (लंबाई)	इंच- कि.मी. (क)	इंच (व्यास)	कि.मी. (लंबाई)	इंच-किमी. (ख)	इंच-कि.मी. (क+ख)
पिछले माह की स्थिति के अनुसार		-			-			
चालू माह के लिए		व्यास 1			व्यास 1			
		व्यास 2			व्यास 2			
		व्यास 3 आदि			व्यास 3 आदि			
चालू माह तक संचयी		कुल			-			
स्टील पाइपलाइन (जहां लागू हो) – जीए		स्टील और एमडीपीई पाइपलाइन (जहां लागू हो) – जीए						
संचयी	कमी	लक्ष्य			संचयी		कमी	
अवसंरचना – सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस)								
सीजीएस का स्थान (पता), जिसमें देशांतर और अक्षांश शामिल हैं								
टैप-ऑफ स्थान (पता), जिसमें देशांतर और अक्षांश शामिल हैं								
यदि टैप-ऑफ स्थान अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के बाहर है								
सब-ट्रांसमिशन पाइपलाइन का विवरण (इंच-कि.मी.)								
पाइपलाइन कंपनी का नाम								
हुक-अप समझौता किए जाने की तारीख								
सीजीएस चालू किए जाने की तारीख								
सीजीएस की क्षमता (एससीएमएच)								
चाहे सीजीडी कंपनी के लिए एमडब्ल्यूपी लक्ष्य स्टील इंच-कि.मी. के रूप में निर्धारित हो या पाइपलाइन इंच-कि.मी. के रूप में, कंपनी से स्टील और एमडीपीई दोनों के इंच-कि.मी. के आंकड़े लिए जाएंगे।								
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा: इकाई द्वारा जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर माह की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 20 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर (तिमाही समाप्ति वाले माह) की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। इकाई द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी सही आंकड़े समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।								

तिमाही

अनुसूची-क/ प्रारूप : सीजीडी-4		वित्तीय वर्ष 20XX-वर्ष की तिमाही ____ के लिए खंडवार लागत विवर				
अधिकृत कंपनी का नाम						
भौगोलिक क्षेत्र (जीए) का नाम						
पीएनजीआरबी के एमडब्ल्यूपी मापदंड (संचयी/ तिमाही समाप्ति तक)		एमडब्ल्यूपी लक्ष्य		उपलब्धि		% प्राप्ति
संपीड़न क्षमता (कि.ग्रा./दिन)						
स्टील और एमडीपीई पाइपलाइन की इंच-कि.मी.						
घरेलू पीएनजीकनेक्शन (संख्या)						
खंड	डीपीएन जी	सीएन जी	पीएनजी (सीएंडआई)	एलएन जी	अन्य (यदि कोई हो, विवरण सहित)	कुल
बिक्री मात्रा (एससीएम में)						
परिचालन से आय / जारी कारोबार				लाख रुपए में		
उत्पादों की बिक्री						
अन्य परिचालन आय (यदि कोई हो, विवरण सहित)						
कुल						
प्रत्यक्ष व्यय: (जहां भी लागू हो, उचित आवंटन आधार सहित)						
बेची गई गैस की लागत (विभाजन एवं मात्रात्मक विवरण सहित)						
एपीएम/ एनएपीएम/ यूबीपी/ एनडब्ल्यूजी/ एचपीएचटी/ सीबीजी						
अन्य (आरएनएलजी/एमडीपी आदि)						
गैस हानि (मात्रात्मक मिलान हेतु अलग-अलग विवरण सहित)						
एलएनजी पुनर्गैसीकरण लागत/सुविधा शुल्क						
संपीडित प्राकृतिक गैस की बिक्री पर उत्पाद शुल्क						
संपीड़न शुल्क						
सीएनजी वितरण शुल्क						
एलसीबी/ईआरबी वाहन किराया शुल्क						
डीलर कमीशन						

सीएनजी स्टेशनों आदि का पट्टा किराया						
वाहन किराया एवं संचालन व्यय						
विद्युत प्रभार						
ईंधन शुल्क						
बिजली शुल्क						
जल शुल्क						
उपभोज्य सामग्री और रसायन						
दरें और कर						
संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव						
भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव						
अन्य मरम्मत एवं रखरखाव						
बीमा शुल्क						
प्रयुक्त भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे						
इन्वेंटरी का पुराना होना						
कार्यालय के अलावा अन्य किराया						
सॉफ्टवेयर/डेटा प्रोसेसिंग व्यय						
अन्य कोई प्रत्यक्ष व्यय (विवरण सहित)						
कुल प्रत्यक्ष व्यय						
अप्रत्यक्ष व्यय: (जहां भी लागू हो, उचित आवंटन आधार सहित)						
जनशक्ति लागत/कर्मचारी लाभ व्यय						
दरें और कर – कार्यालय						
संचार व्यय						
मुद्रण एवं स्टेशनरी						
सुरक्षा व्यय						
यात्रा व्यय						
भर्ती व्यय						
सेमिनार एवं प्रशिक्षण व्यय						
वाहन किराया एवं संचालन व्यय (प्रशासन/कार्यालय)						
किराया – कार्यालय/प्रशासन/कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय						
कार्यालय प्रशासन शुल्क						
परामर्श एवं कानूनी शुल्क						
पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास						
मूल्यहास (परिसंपत्तियों का खंडवार विवरण सहित)						
परिशोधन						
पट्टा देयताओं पर ब्याज						
उधार/ऋण पर ब्याज						

लेखापरीक्षकों को भुगतान						
अन्य कोई अप्रत्यक्ष व्यय (विवरण सहित)						
कुल अप्रत्यक्ष व्यय						
एसएंडडी, अन्य व्यय/प्रावधान						
विक्री एवं वितरण व्यय						
व्यवसाय विकास व्यय						
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं						
विज्ञापन एवं प्रचार						
असाधारण मदें (पूर्व अवधि समायोजन/असामान्य हानि आदि)						
अचल परिसंपत्ति की विक्री पर हानि						
सीएसआर व्यय						
हानि/पुराना होने के लिए प्रावधान (इन्वेंटरी के अलावा)						
पूंजीगत मदों पर प्रावधान/हानि						
संदिग्ध ऋण/दावों के लिए प्रावधान						
वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ता						
अन्य विविध व्यय (विवरण सहित)						
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर हानि/(लाभ)						
अन्य कोई व्यय/प्रावधान (विवरण सहित)						
कुल एसएंडडी, अन्य व्यय/प्रावधान						
अन्य आय: (विस्तृत विवरण संलग्न किया जाए)						
लाभ/हानि लेखे के अनुसार कर-पूर्व एकल लाभ/हानि						

टिप्पणियां:

- (1) ईंधन एवं उपयोगिताओं (विजली, डीजल, पानी और अन्य उपयोगिताओं) के संबंध में मात्रा, दर, संचालन के घंटे और मूल्य का विवरण अलग से प्रस्तुत किया जाए।
- (2) साझा व्ययों के आवंटन का आधार और गणना अलग से प्रस्तुत की जाए।
- (3) परिसंपत्ति रजिस्टर (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) सहित), खंडवार विभाजन और मूल्यहास की गणना का विस्तृत विवरण अलग से संलग्न किया जाए।
- (4) संबंधित पिछली तिमाही, तिमाही समाप्ति तक (पिछली और वर्तमान दोनों) तथा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग शीट संलग्न की जाए।
- (5) एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र और/या अन्य व्यवसाय वाली कंपनियां भौगोलिक क्षेत्र-वार लागत विवरण तथा कंपनी स्तर के लाभ एवं हानि खाते के साथ मिलान विवरण प्रस्तुत करेंगी।
- (6) यह विवरण तिमाही आधार पर तथा प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) के विनियम 33 के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। सूचीबद्ध

कंपनियों के मामले में इसे कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (सीएफओ/सीएस/सीईओ आदि) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर पीएनजीआरबी द्वारा इस विवरण को प्रैक्टिसिंग सीए/सीएमए से विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। तथापि, वार्षिक विवरण को सांविधिक लेखापरीक्षक/प्रैक्टिसिंग सीए/सीएमए द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यह समय-सीमा सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध, दोनों प्रकार की सभी कंपनियों पर लागू होगी।

मासिक

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-5			एपीएम आवंटन, आरएलएनजी, सीबीजी एवं एचपीएचटी पर मासिक रिपोर्ट		
एपीएम आवंटन			आरएलएनजी, एचपीएचटी		
घरेलू एपीएम	सीएनजी एपीएम	कुल आवंटन	आरएलएनजी	एचपीएचटी	सीबीजी
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा: कंपनी द्वारा जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्तूबर और नवंबर माह की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 20 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर (तिमाही समाप्ति वाले माह) की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी सही आंकड़े समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।					

मासिक

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-6		कैपेक्स एवं ओपेक्स पर मासिक रिपोर्ट (जीए-वार)	
डीएफआर के अनुसार			
5 वर्ष के लिए	8 वर्ष के लिए	25 वर्ष के लिए	

पिछले वित्तीय वर्ष का कैपेक्स	चालू वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित कैपेक्स	चालू वित्तीय वर्ष में (दिवस.माह.वर्ष) तक किया गया कुल कैपेक्स	(दिवस.माह.वर्ष) तक संचयी कैपेक्स

पिछले वित्तीय वर्ष का ओपेक्स	चालू वित्तीय वर्ष में (दिवस.माह.वर्ष) तक किया गया कुल ओपेक्स	(दिवस.माह.वर्ष) तक संचयी ओपेक्स

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा: कंपनी द्वारा जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर माह की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 20 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर (तिमाही समाप्ति वाले माह) की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी।

आवधिक

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-7		नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में क्षमता बुक करने के लिए अनुरोध का प्रारूप	
खंड-1 : पहचान संबंधी विवरण			
1. कंपनी का नाम:			
2. सीजीडी नेटवर्क का नाम:			
3. संपर्क विवरण:			
खंड-2 : तकनीकी विवरण			
1. प्रवेश बिंदुओं के नाम और प्रवेश बिंदुओं की क्षमता			
प्रवेश बिंदु	नाम	क्षमता	
		मात्रा के रूप में	ऊर्जा के रूप में
बिंदु-1			
बिंदु-2			
बिंदु-3			
बिंदु-4			
बिंदु-5			

2. निकास बिंदुओं के नाम और निकास बिंदुओं की क्षमता			
निकास बिंदु	नाम	क्षमता	
		मात्रा/भार के रूप में *	ऊर्जा के रूप में
बिंदु-1			
बिंदु-2			
बिंदु-3			
बिंदु-4			
बिंदु-5			

3. प्रवेश बिंदु पर तकनीकी मापदंड				
स्वीकार्य सीमा				
दाब	तापमान	सीवी		
4. स्वयं की आवश्यकता के लिए उपयोग की गई क्षमता (एमएमबीटीयू)				
स्वयं	सहयोगी	संबद्ध	कुल	
5. सामान्य वाहक या संविदा वाहक के अंतर्गत पहले से बुक की गई क्षमता				
मात्रा के रूप में	ऊर्जा के रूप में	कि.ग्रा. में (सीएनजी के लिए)		
6. सीजीडी नेटवर्क में शिपर्स के लिए उपलब्ध क्षमता				

मात्रा के रूप में	ऊर्जा के रूप में	कि.ग्रा. में (सीएनजी के लिए)		
7. उपर्युक्त में शामिल न की गई कोई अन्य सूचना/ प्रासंगिक टिप्पणी				

टिप्पणी : सीएनजी की क्षमता किलोग्राम में तथा सीएनजी के अलावा अन्य गैसों की क्षमता आयतन के रूप में रिपोर्ट की जाएगी।

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-8	कंपनियों के लिए तिमाही रिपोर्ट का प्रारूप
--------------------------------	---

उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ – तिमाही रिपोर्ट

कंपनी का नाम: _____ तिमाही: _____ वर्ष: _____

उपभोक्ता आधार

उपभोक्ता श्रेणी	प्रारंभिक शेष	नए जुड़ाव	डिस्कनेक्शन	अंतिम शेष
घरेलू पीएनजी				
वाणिज्यिक पीएनजी				
औद्योगिक पीएनजी				
सीएनजी				
कुल				

1. शिकायत संबंधी आंकड़े

श्रेणी	प्राप्त	निस्तारित	लंबित	समय-सीमा के भीतर	समय-सीमा के बाद
श्रेणी क (गंभीर)					
श्रेणी ख (उच्च प्राथमिकता)					
श्रेणी ग (सामान्य)					
कुल					

2. विषय-वार शिकायत विश्लेषण

विषय	शिकायतों की संख्या	कुल का %	औसत समाधान समय (दिन)
कनेक्शन में देरी			
आपूर्ति में रुकावट			
गुणवत्ता संबंधी समस्याएं			
मीटर संबंधी समस्याएं			
बिल संबंधी विवाद			
अधिक बिल/अधिक शुल्क वसूलना			
ग्राहक सेवा			
सुरक्षा संबंधी समस्याएं			
अन्य			
कुल			

3. भुगतान किया गया मुआवजा

श्रेणी	मामलों की संख्या	भुगतान की गई राशि (रु.)
कनेक्शन में देरी		
आपूर्ति में रुकावट		
बिल संबंधी त्रुटियां		
गुणवत्ता संबंधी समस्या		
शिकायत के समाधान में देरी		
अन्य		
कुल		

4. सेवा की गुणवत्ता का प्रदर्शन

मापदंड	लक्ष्य	उपलब्धि	अंतर	टिप्पणियां
निर्धारित समय-सीमा के भीतर नए कनेक्शन				
निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान				
बिलिंग की सटीकता				
आपूर्ति की उपलब्धता				
आपातकालीन प्रतिक्रिया				

5. उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां

गतिविधि	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी	व्यय किया गया बजट (रु.)
कार्यशालाएं			
अभियान			
मीडिया विज्ञापन			
स्कूल/कॉलेज कार्यक्रम			
अन्य			
कुल			

6. उच्च स्तर पर भेजे गए मामले

अन्वेषण स्तर	मामलों की संख्या	स्थिति
वरिष्ठ प्रबंधन को		
लोकपाल को		
बोर्ड को		
उपभोक्ता मंचों को		

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर तिमाही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

प्रधान नोडल अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

कंपनी की मुहर: _____

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-9	सेवा की गुणवत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप
--------------------------------	--

कंपनी का नाम: _____

वित्तीय वर्ष: _____

खंड-I : उपभोक्ता संबंधी आंकड़े

- (क) उपभोक्ताओं की संख्या (श्रेणीवार, 31 मार्च की स्थिति के अनुसार)
- (ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए नए उपभोक्ताओं की संख्या
- (ग) वर्ष के दौरान किए गए डिस्कनेक्शन की संख्या
- (घ) वृद्धि दर (%)

खंड-II : कनेक्शन संबंधी प्रदर्शन

मापदंड	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)	टिप्पणियां
प्रदान किए गए घरेलू पीएनजी कनेक्शन				
प्रदान किए गए वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन				
प्रदान किए गए औद्योगिक पीएनजी कनेक्शन				
निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान किए गए कनेक्शन				
कनेक्शन प्रदान करने में लगा औसत समय (दिन)				

खंड-III : आपूर्ति संबंधी प्रदर्शन

मापदंड	संख्या/ मामले	टिप्पणियां
नियोजित आपूर्ति बाधित होने की संख्या		
नियोजित आपूर्ति बाधित रहने की औसत अवधि		
अनियोजित आपूर्ति बाधित होने की संख्या		
अनियोजित आपूर्ति बाधित रहने की औसत अवधि		
24 घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति बाधित होने की संख्या		
गुणवत्ता संबंधी अनुपालन न होने के मामले		
दबाव संबंधी अनुपालन न होने के मामले		

खंड-IV : मीटरिंग और बिलिंग संबंधी प्रदर्शन

मापदंड	संख्या	टिप्पणियां
मीटर संबंधी शिकायतों की संख्या		
परीक्षण किए गए मीटर		
खराब पाए गए मीटर		
बिलिंग की सटीकता (%)		
बिलिंग संबंधी शिकायतों की संख्या		
सुधारी गई बिलिंग त्रुटियां		

खंड-V : शिकायत निवारण संबंधी प्रदर्शन

श्रेणी	प्राप्त	निस्तारित	लंबित	समय-सीमा के भीतर (%)
श्रेणी क (गंभीर)				
श्रेणी ख (उच्च प्राथमिकता)				
श्रेणी ग (सामान्य)				
कुल				

खंड-VI : भुगतान किया गया मुआवजा

प्रकार	मामलों की संख्या	राशि (रु.)
कनेक्शन में देरी		
आपूर्ति में रुकावट		
बिलिंग संबंधी त्रुटियां		
गुणवत्ता संबंधी समस्याएं		

शिकायत के समाधान में देरी		
अन्य		
कुल		

खंड-VII : उपभोक्ता संतुष्टि

- (क) उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का स्कोर
 (ख) समग्र संतुष्टि रेटिंग: ____
 (ग) प्रमुख मजबूत पक्ष: ____
 (घ) सुधार के क्षेत्र: ____
 (ङ) सुधार के लिए कार्य-योजना: ____

खंड-VIII : उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा

- (क) आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या: ____
 (ख) लाभान्वित प्रतिभागियों की संख्या: ____
 (ग) उपभोक्ता जागरूकता पर किया गया व्यय: रु. ____
 (घ) प्रमुख अभियान/पहल: ____

[पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए]

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-10	मासिक डीपीएनजी एवं सीएनजी मूल्य-विभाजन संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने की रिपोर्ट
---------------------------------	---

डीपीएनजी एवं सीएनजी मूल्य-विभाजन संबंधी आंकड़े: जनहित में डीपीएनजी और सीएनजी के मूल्य-विभाजन संबंधी आंकड़े मासिक आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मासिक डीपीएनजी मूल्य-विभाजन संबंधी आंकड़े

1. कंपनी का नाम	
2. जीए का नाम	
3. जिला	
4. अंतिम मूल्य संशोधन की तारीख	
5. सीजीडी कंपनी को उपलब्ध कराई गई प्राकृतिक गैस की लागत (क+ख+ग+घ)	
(क) मूल लागत (एपीएम मूल्य) (~रु./एमएमबीटीयू)	
(ख) पाइपलाइन परिवहन टैरिफ (रु./एमएमबीटीयू)	
(ग) परिवहन टैरिफ पर जीएसटी	
(घ) राज्य वैट (क+ख+ग पर)	

6. सीजीडी कंपनी के लिए आपूर्ति एवं वितरण लागत	
7. कंपनी का मुनाफा	
8. मूल बिक्री मूल्य (5+6+7)	
9. वैट	
10. कोई अन्य कर (यदि लागू हो)	
11. खुदरा बिक्री मूल्य (रु./एससीएम):	

परंतु यह कि, बोर्ड इस संबंध में कोई अन्य अतिरिक्त सूचना मांग सकता है।

2. मासिक सीएनजी मूल्य-विभाजन संबंधी आंकड़े

1. कंपनी का नाम	
2. जीए का नाम	
3. जिला	
4. अंतिम मूल्य संशोधन की तारीख	
5. सीजीडी कंपनी को उपलब्ध कराई गई प्राकृतिक गैस की लागत (क+ख+ग+घ+ङ.+च+छ):	
(क) मूल गैस लागत (पुनर्गैसीकरण से पहले) (रु./एमएमबीटीयू)	
(ख) जीएसटी सहित पुनर्गैसीकरण शुल्क (~रु./एमएमबीटीयू)	
(ग) राज्य वैट	
(घ) विक्रेता का विपणन मार्जिन	
(ङ.) पाइपलाइन परिवहन टैरिफ (रु./एमएमबीटीयू)	
(च) परिवहन टैरिफ पर जीएसटी	
(छ) राज्य वैट (क+ख+ग+घ+ङ.+च पर)	
6. सीजीडी कंपनी के लिए आपूर्ति एवं वितरण लागत (i)+(ii)	
(i) संपीड़न शुल्क	
(ii) अन्य शुल्क	
7. कंपनी का मार्जिन	
8. मूल बिक्री मूल्य (5+6+7)	
9. उत्पाद शुल्क	
10. वैट	
11. कोई अन्य कर (यदि लागू हो)	
12. खुदरा बिक्री मूल्य (रु./किग्रा.)	
इसे पीएनजीआरबी ई-पोर्टल के माध्यम से भी समय पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। यह कार्य अगले माह की 20 तारीख तक तथा तिमाही समाप्ति वाले माह के मामले में अगले माह की खुदरा बिक्री मूल्य (रु./किग्रा.) किया जाएगा।	

वशर्ते यह कि, बोर्ड इस संबंध में कोई अन्य अतिरिक्त सूचना मांग सकता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर: _____

पदनाम: _____ दिनांक: _____

कंपनी की मुहर: _____

(आंकड़ों के प्रारूप शामिल किए गए हैं, लेकिन सीबीजी के संबंध में विनियम लाना प्रस्तावित पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 में संशोधन के माध्यम से सीबीजी को पीएनजीआरबी के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए जाने के अधीन होगा। संशोधन होने तक आंकड़े स्वैच्छिक आधार पर एकत्र किए जा सकते हैं।)

अनुसूची-क : प्रारूप: सीजीडी-11	परिचालनरत सीबीजी (बायोमीथेन) संयंत्रों के संबंध में सूचना
--------------------------------	---

(सीबीजी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया जाए): एक बार

1	सीबीजी (बायोमीथेन) कंपनी का नाम	
2	कंपनी का प्रकार – सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू- केंद्र/राज्य)/ निजी/ संयुक्त उद्यम/ सहकारी संस्था/ स्वामित्व फर्म/ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)। (संबंधित अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम/साझेदारी विलेख आदि की प्रति संलग्न करें।)	
3	पंजीकृत कार्यालय का पता	
4	अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों/ भागीदारों/ प्रोपराइटर का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स और ई-मेल आईडी	
5	सीबीजी /बायो-सीएनजी संयंत्र का विवरण	
i	स्थान	
ii	परियोजना लागत	
iii	चालू किए जाने की तारीख	
iv	सीबीजी (बायोमीथेन) संयंत्र की निर्धारित क्षमता (टीपीडी और एससीएमडी में)	
v	सीबीजी (बायोमीथेन) संयंत्र की परिचालन क्षमता (टीपीडी और एससीएमडी में)	
6	विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (प्रति संलग्न करें)	
7	उस भौगोलिक क्षेत्र (जीए) का नाम जहां सीबीजी संयंत्र स्थित है	
8	ग्राहकों के साथ किए गए समझौतों का विवरण (ग्राहकों के नाम)	
i		
ii		
iii		
9	विभिन्न माध्यमों से सीबीजी की बिक्री (प्रति दिन मात्रा किग्रा. में)	
i	कैस्केड	
ii	पाइपलाइन (सीजीडी नेटवर्क/ट्रंक एनजीपीएल)	
iii	अन्य (एकल)	
10	फीडस्टॉक (प्रकार) और फीडस्टॉक क्षमता (टीपीडी)	
11	गोबरधन पोर्टल या अन्य पोर्टल पर पंजीकरण तथा पंजीकरण की तारीख	
12	संयंत्र का भौगोलिक स्थान	
i	अक्षांश	
ii	देशांतर	
13	प्रौद्योगिकी प्रदाता का नाम	
14	सीबीजी उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली शुद्धिकरण प्रक्रिया	

i	एच ₂ एस शुद्धिकरण विधियां	
ii	सीओ ₂ शुद्धिकरण विधियां	
iii	आर्द्रता	
iv	अन्य	
15	वित्तीय विवरण	
i	शेयर पूंजी या स्वामी की स्वयं की निधि	
ii	ऋण – राशि, अवधि, अधिस्थगन अवधि, ब्याज दर, ऋणदाता तथा ऋण की सुरक्षा के लिए बंधक/हाइपोथीकेट की गई परिसंपत्ति (यदि कोई हो)	
iii	आरक्षित निधियां (यदि कोई हों)	
iv	स्थायी परिसंपत्तियां	

v	चालू परिसंपत्तियां	
vi	चालू देयताएं	
vii	बिक्री कारोबार	
viii	कर पश्चात लाभ	

1. जहां आवश्यक हो, सूचना देने के लिए अलग-अलग शीट संलग्न करें।

2. यदि किसी कॉलम के लिए आंकड़ा शून्य है, तो '0' दर्ज करें और यदि मांगी गई सूचना लागू नहीं होती है, तो आवश्यकतानुसार 'एन/ए' दर्ज करें।

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-12	निर्माणाधीन सीबीजी (बायोमीथेन) संयंत्रों के संबंध में सूचना
---------------------------------	---

1	सीबीजी (बायोमीथेन) कंपनी का नाम	
2	कंपनी का प्रकार – सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू- केंद्र/राज्य)/ निजी/ संयुक्त उद्यम/ सहकारी संस्था/ स्वामित्व फर्म/ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)। (संबंधित अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम/साझेदारी विलेख आदि की प्रति संलग्न करें।)	
3	पंजीकृत कार्यालय का पता	
4	अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों/भागीदारों/स्वामी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स और ई-मेल आईडी	
5	सीबीजी /बायो-सीएनजी संयंत्र का विवरण	

i	स्थान	
ii	प्रस्तावित परियोजना लागत	
iii.	नियोजित चालू किए जाने की तारीख	
iv	सीबीजी (बायोमीथेन) संयंत्र की निर्धारित क्षमता (टीपीडी और एससीएमडी में)	
6	विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (प्रति संलग्न करें)	
7	उस भौगोलिक क्षेत्र (जीए) का नाम जहां सीबीजी संयंत्र स्थित है	
8	फीडस्टॉक (प्रकार) और फीडस्टॉक क्षमता (टीपीडी)	
9	गोबरधन पोर्टल या अन्य पोर्टल पर पंजीकरण तथा पंजीकरण की तारीख	
10	संयंत्र का भौगोलिक स्थान	

i	अक्षांश	
ii	देशांतर	
11	प्रौद्योगिकी प्रदाता का नाम	
12	सीबीजी के प्रस्तावित उत्पादन के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया	
i	एच ₂ एस शुद्धिकरण विधियां	
ii	सीओ ₂ शुद्धिकरण विधियां	
iii	आर्द्रता	
iv	अन्य	
13	विभिन्न माध्यमों से सीबीजी की प्रस्तावित बिक्री	
i	कैस्केड (कैस्केड की संख्या और प्रकार)	
ii	पाइपलाइन (सीजीडी नेटवर्क/एनजीपीएल से जोड़ने वाली) – स्थिति	
iii	अन्य (एकल)	
14	वित्तीय विवरण	
i	शेयर पूंजी या स्वामी की स्वयं की निधि	
ii	ऋण – राशि, अवधि, अधिस्थगन अवधि, ब्याज दर, ऋणदाता तथा ऋण की सुरक्षा के लिए बंधक/हाइपोथीकेट की गई परिसंपत्ति (यदि कोई हो)	
iii	आरक्षित निधियां (यदि कोई हों)	
iv	स्थायी परिसंपत्तियां	
iii	आरक्षित निधियां (यदि कोई हों)	
iv	स्थायी परिसंपत्तियां	
v	चालू परिसंपत्तियां	
vi	चालू देयताएं	

1. जहां आवश्यक हो, सूचना देने के लिए अलग-अलग शीट संलग्न करें।
2. प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर तिमाही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे।
3. यदि किसी कॉलम के लिए आंकड़ा शून्य है, तो '0' दर्ज करें और यदि मांगी गई सूचना लागू नहीं होती है, तो आवश्यकतानुसार 'एन/ए' दर्ज करें।
4. सीबीजी संयंत्र के चालू होने और सीबीजी की बिक्री शुरू होने के बाद प्रारूप (क) के अनुसार एक बार सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-13	सीबीजी संयंत्र और सीजीडी नेटवर्क/ट्रंक एनजीपीएल के बीच चालू/परिचालित पाइपलाइन अवसंरचना के संबंध में सूचना
---------------------------------	---

(पाइपलाइन के स्वामी द्वारा प्रस्तुत की जाए): एक बार

1	पाइपलाइन का स्वामी	
2	भौगोलिक क्षेत्र (जीए) या एनजीपीएल नेटवर्क का नाम	
3	पाइपलाइन किसके द्वारा बिछाई गई है – सीजीडी/एनजीपीएल/सीबीजी कंपनी/अन्य हितधारक	
4	क्या सीबीजी संयंत्र इंजेक्शन पॉइंट से जुड़ा हुआ है (हां/नहीं)	
i	चालू किए जाने की तारीख	

ii	पाइपलाइन का प्रकार – एमडीपीई/स्टील	
ii	पाइपलाइन की लंबाई (मीटर)	
iii	पाइपलाइन का व्यास (इंच)	
iv	पाइपलाइन का एमएओपी (कि.ग्रा./सेमी ²)	
v	परिचालन दबाव (कि.ग्रा./सें.मी ²)	
vi	औसत थ्रूपुट (टीपीडी)	
5	इंजेक्शन पॉइंट पर उपलब्ध सुविधाएं (विवरण अलग शीट में प्रस्तुत किया जाए)	
6	वित्तीय सहायता के लिए पंजीकरण	

i	डीपीआई योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पंजीकृत (हां/नहीं)	
ii	डीपीआई योजना के अंतर्गत विचार की गई पाइपलाइन की लंबाई (मीटर)	
iii	मांगी गई वित्तीय सहायता (रु. लाख में)	
7	एमडब्ल्यूपी लक्ष्यों के अंतर्गत विचार की गई पाइपलाइन की लंबाई (मीटर)	
8	विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (प्रति संलग्न करें)	
9	पाइपलाइन के प्रारंभिक बिंदु के भौगोलिक निर्देशांक	
i	अक्षांश	
ii	देशांतर	
10	सीबीजी इंजेक्शन पॉइंट (सीजीडी नेटवर्क/ट्रंक एनजीपीएल) के भौगोलिक निर्देशांक	
i	अक्षांश	
ii	देशांतर	

1. सुविधा के चालू होने पर तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
2. यदि किसी कॉलम में आंकड़ा शून्य है, तो '0' दर्ज करें और यदि मांगी गई सूचना लागू नहीं होती है, तो आवश्यकतानुसार 'एन/ए' दर्ज करें।

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-14	सीबीजी संयंत्र और सीजीडी नेटवर्क/ट्रंक एनजीपीएल के बीच निर्माणाधीन/ प्रस्तावित पाइपलाइन अवसंरचना के संबंध में मासिक सूचना
--	---

(पाइपलाइन के मालिक द्वारा प्रस्तुत की जाए)

माह:

1	पाइपलाइन का मालिक	
2	भौगोलिक क्षेत्र (जीए) या एनजीपीएल नेटवर्क का नाम	
3	सीजीडी/एनजीपीएल/सीबीजी कंपनी/अन्य हितधारकों द्वारा पाइपलाइन बिछाने की योजना	
4	सीबीजी संयंत्र को सीजीडी/एनजीपीएल नेटवर्क के इंजेक्शन पॉइंट से जोड़ने की योजना (हां/नहीं)	
i	नियोजित चालू किए जाने की तारीख	
ii	प्रस्तावित पाइपलाइन का प्रकार – एमडीपीई/स्टील	
ii	प्रस्तावित पाइपलाइन की कुल लंबाई (मीटर)	
iii	पाइपलाइन का व्यास (इंच)	
iv	पाइपलाइन का नियोजित एमएओपी(किग्रा./सेमी ²)	
v	बिछाई गई पाइपलाइन की लंबाई – यांत्रिक रूप से पूर्ण (मीटर)	
5	प्रारंभिक और इंजेक्शन पॉइंट पर प्रस्तावित सुविधाएं एवं भौतिक प्रगति (विवरण अलग शीट में प्रस्तुत किया जाए)	

6	वित्तीय सहायता के लिए पंजीकरण	
i	डीपीआई योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पंजीकृत (हां/नहीं)	
ii	डीपीआई योजना के अंतर्गत विचार की गई पाइपलाइन की लंबाई (मीटर)	
iii	मांगी गई वित्तीय सहायता (रु. लाख में)	
iv	एमडब्ल्यूपी लक्ष्यों के अंतर्गत विचार की जा सकने वाली पाइपलाइन की लंबाई (मीटर)	
7	विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (प्रति संलग्न करें)	
8	पाइपलाइन के प्रारंभिक बिंदु के भौगोलिक निर्देशांक	
i	अक्षांश	
ii	देशांतर	
9	सीबीजी इंजेक्शन पॉइंट (सीजीडी नेटवर्क/ट्रंक एनजीपीएल) के भौगोलिक निर्देशांक	
i	अक्षांश	
ii	देशांतर	

- विवरण मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- यदि किसी कॉलम में आंकड़ा शून्य है, तो '0' दर्ज करें और यदि मांगी गई सूचना लागू नहीं होती है, तो आवश्यकतानुसार 'एन/ए' दर्ज करें।

अनुसूची-क : प्रारूप : सीजीडी-15	प्रत्येक जीए में सीबीजी की बिक्री और उससे संबंधित दायित्वों के संबंध में सूचना
---------------------------------	--

कंपनी का नाम : _____

वित्तीय वर्ष : _____

माह : _____

सीबीजी दायित्व %: 1, 3, 4 या 5: _____

जीए का नाम	जीए की आईडी	सीएनजी(टी) एवं डीपीएनजी बिक्री (कि.ग्रा.) – (क)			सीबीजी बिक्री (कि.ग्रा.) – (B)			सीएनजी(टी) एवं डीपीएनजी की तुलना में सीबीजी बिक्री का प्रतिशत – (ग)			वर्षवार निर्धारित दायित्व के संबंध में अधिशेष/कमी (+/-) की मात्रा (कि.ग्रा.) – (क बनाम ख)		
		पिछले माह की स्थिति	वर्तमान माह	संचयी (वित्तीय वर्ष)	पिछले माह की स्थिति	वर्तमान माह	संचयी (वित्तीय वर्ष)	पिछले माह की स्थिति	वर्तमान माह	संचयी (वित्तीय वर्ष)	पिछले माह की स्थिति	वर्तमान माह	संचयी (वित्तीय वर्ष)
कुल													

संचयी अधिशेष या कमी की मात्रा (कि.ग्रा.) :

रूपांतरण गुणांक (कि.ग्रा. से एससीएमडी) :

संचयी अधिशेष या कमी की मात्रा (एससीएमडी में) :

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा: इकाई को जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्तूबर और नवंबर माह की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अगले माह के 20 दिनों के भीतर तथा मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर (तिमाही के अंतिम माह) की प्रगति रिपोर्ट अगले माह के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी सही आंकड़े समय पर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

वित्त वर्ष 2025-26 @ 3%

तिमाही

अनुसूची-ख (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन)

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 13(1) और 14(9) के संदर्भ में, जो दिनांक 6 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 340 (ड.) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।]

अनुसूची-ख / प्रारूप : एनजीपीएल-1क			
अनुसूची-ड. / प्रारूप : ड.-1क-एनजीपीएल	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट : भौतिक मापदंड		
1. कंपनी का नाम			
2. परियोजना का नाम			
3. तिमाही		4. वित्तीय वर्ष	
<u>प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विवरण</u>			
5. कुल अधिकृत लंबाई (कि.मी.)	6. कुल वेलिंग लंबाई (कि.मी.)	7. कुल बिछाई गई पाइपलाइन की लंबाई (कि.मी.)	8. कुल चालू की गई लंबाई (कि.मी.)
9. पाइपलाइन खंड का विवरण: -			
नाम	राज्य	व्यास (इंच)	खंड की लंबाई (कि.मी.)
खंड 1			
...			
10. अधिग्रहण का प्रकार	स्थिति	लंबाई (कि.मी.)	टिप्पणियां
आरओयू 3(i)			
आरओयू 6(i)			

आरओयू 8					
आरओडब्ल्यू 3					
11. खंड की लंबाई	वेलिंग लंबाई (कि.मी.)	नीचे बिछाई गई लंबाई (कि.मी.)	चालू की गई लंबाई (कि.मी.)		
तिमाही के लिए					
संचयी (आरंभ से)					
12. खंड में स्पर लाइन का विवरण					
स्पर लाइन	राज्य	वेलिंग लंबाई (कि.मी.)	नीचे बिछाई गई लंबाई (कि.मी.)	चालू की गई लंबाई (कि.मी.)	चालू (%)
13. परियोजना पूर्णता की स्थिति	तिमाही के लिए		संचयी		
	चालू %		चालू %		
अधिकृत स्पर लाइन सहित मुख्य पाइपलाइन					
14. कंप्रेसर, इंटरमीडिएट टर्मिनल और डिलीवरी टर्मिनल की संख्या	पिछली तिमाही तक	तिमाही के दौरान जोड़े गए	तिमाही के अंत में कुल		
कंप्रेसर स्टेशन					
कंप्रेसरों की कुल संख्या					
डिलीवरी/डिस्पैच टर्मिनल					
रिसीविंग टर्मिनल					
इंटरमीडिएट टर्मिनल/ एसवी स्टेशन/ पिगिंग स्टेशन					
कोई अन्य सूचना					
टिप्पणी:					
1. यदि किसी कॉलम में आंकड़ा शून्य है, तो '0' दर्ज करें।					
2. रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।					

तिमाही

अनुसूची-ख / प्रारूप : एनजीपीएल-1ख		प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट : वित्तीय मापदंड		
1. कंपनी का नाम				
2. परियोजना का नाम				
3. मालिक का विवरण	नाम		शेयर (%)	
	नाम		शेयर (%)	
	नाम		शेयर (%)	
	नाम		शेयर (%)	

4. समाप्त तिमाही की रिपोर्ट				5. वर्ष			
जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी आंकड़े लाख रुपए में प्रस्तुत किए जाएं।							
पूँजीगत निवेश							
6. स्थायी परिसंपत्तियां		12. अर्जित राजस्व					
प्रारंभिक शेष		13. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर लगाया गया टैरिफ					
प्रत्यक्ष वृद्धि		जोन	परिवहन की गई गैस	टैरिफ	कुल		
चल रहे पूंजीगत कार्य से अंतरण			(एमएमबीटी यू)	(रु./एमएमबीटीयू)	टैरिफ		
कटौती		जोन-1					
अंतिम शेष		जोन-2					
7. चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)		जोन-3					
प्रारंभिक शेष		जोन-4					
वृद्धि		जोन-5					
स्थायी परिसंपत्तियों में अंतरण		अन्य आय					

कटौती/अंतरण		कुल राजस्व	
अंतिम शेष		14. लाभ/हानि	
8. परिचालन व्यय		कर-पूर्व लाभ	

बेची गई वस्तुओं की लागत		कर	
उपयोगिताएं – बिजली एवं ईंधन		कर-पश्चात लाभ	
वेतन		15. ऋण की स्थिति: (क) सावधि ऋण	
मरम्मत एवं रखरखाव		प्रारंभिक शेष	
सामान्य प्रशासनिक व्यय		जोड़ी गई राशि	
बीमा		चुकाई गई राशि	
अन्य		अंतिम शेष	
कुल परिचालन व्यय		औसत व्याज दर (%)	
9. वित्तीय व्यय		(ख) कार्यशील पूंजी ऋण	
कार्यशील पूंजी पर व्याज		प्रारंभिक शेष	
सावधि ऋण पर व्याज		जोड़ी गई राशि	
कुल वित्तीय व्यय		चुकाई गई राशि	
10. मूल्यहास		निवल परिवर्तन	
11. कुल व्यय		औसत व्याज दर (%)	
16. कोई अन्य सूचना: (कृपया बॉक्स में लिखें)			

17. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश:
1. यदि किसी कॉलम में आंकड़ा शून्य है, तो '0' दर्ज करें। रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- मासिक

[illegible]

सितंबर																					
अक्टूबर																					
नवंबर																					
दिसंबर																					
जनवरी																					
फरवरी																					
मार्च																					
संचयी कुल																					
13. संचयी उपयोगिता % :				14. कोई अन्य सूचना: (कृपया बॉक्स में लिखें)																	
15. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश																					
1. यदि किसी माह के किसी कॉलम में आंकड़ा शून्य है, तो '0' दर्ज करें। 2. रिपोर्ट परिवहन कंपनी द्वारा अगले माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।																					

आवधिक

अनुसूची-ख/ प्रारूप : एनजीपीएल-3

पाइपलाइन की क्षमता घोषित करने का प्रारूप

1. कंपनी का नाम:				
2. पाइपलाइन का नाम:				
3. पाइपलाइन की खंड-वार क्षमता:				
(क) खंडों की संख्या:				
(ख) प्रत्येक खंड का विवरण:				
खंड संख्या	प्रारंभिक बिंदु	अंतिम बिंदु	क्षमता (आयतन)	क्षमता (ऊर्जा)
1				
2				

4. अधिकृत हब/एजेंसियों (एएचए) की संख्या:	
5. पाइपलाइन मार्ग पर प्रवेश बिंदुओं की संख्या:	
6. प्रवेश बिंदुओं का स्थान:	
प्रवेश बिंदु संख्या	स्थान (निर्देशांक/विवरण)

1		
2		
7. निकास बिंदुओं की संख्या:		
8. निकास बिंदुओं का स्थान:		
निकास बिंदु संख्या	स्थान (निर्देशांक/विवरण)	
1		
2		
9. प्रवेश बिंदुवार क्षमता:		
प्रवेश बिंदु संख्या	क्षमता (आयतन)	क्षमता (ऊर्जा)
1		
2		
10. निकास बिंदुवार क्षमता:		
निकास बिंदु संख्या	क्षमता (आयतन)	क्षमता (ऊर्जा)
1		
2		
11. तकनीकी मापदंड:		
(क) प्रवेश बिंदु पर इनलेट दबाव:		
(ख) प्रवेश बिंदु पर कैलोरिफिक वैल्यू की सीमा:		
(ग) तापमान:		
(घ) अन्य तत्व (अनुसूची-II के अनुसार):		
12. उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता की स्थिति (सामान्य वाहक आधार पर)		
[हां/नहीं; यदि हां, तो आयतन/ऊर्जा तथा उपलब्ध अवधि का विवरण दें]		
13. परिवहनकर्ता द्वारा उपयोग की जा रही सामान्य वाहक क्षमता का विवरण (स्वयं के या संविदा आधार पर):		
[आयतन/प्रतिशत, उपयोगकर्ता का विवरण तथा अवधि प्रदान करें]		
14. सामान्य वाहक उपयोग के लिए कोई मांग लंबित है? (अवधि सहित):		
[हां/नहीं; यदि हां, तो लंबित उपयोगकर्ताओं, अनुरोध की तारीख और स्थिति का विवरण दें]		

15. प्रवेश और विकास बिंदुओं के संबंध में प्राथमिकता:	
[यदि परिवहनकर्ता किसी प्रवेश या विकास बिंदु को प्राथमिकता देता है, तो उसका विवरण दें; यदि कोई वाणिज्यिक या परिचालन संबंधी बाधाएं हों, तो उनका भी उल्लेख करें]	

वार्षिक

अनुसूची-ख / प्रारूप: एनजीपीएल-4

असंतुलन और अधिक उपयोग शुल्क से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रारूप

तिमाही सूचना प्रस्तुत करने का प्रारूप:

वित्तीय वर्ष 20...-20... की ... तिमाही की सूचना

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम:				
	शिपर का नाम	चालान की गई राशि	बकाया राशि	प्राप्त राशि
माह 1	शिपर 1	-	-	-
	शिपर 2	-	-	-
	शिपर 3	-	-	-
	शिपर 1	-	-	-

माह 2	शिपर 2	-	-	-
	शिपर 3	-	-	-
माह 3	शिपर 1	-	-	-
	शिपर 2	-	-	-
	शिपर 3	-	-	-
कुल		-	-	-
कर एवं शुल्क (चालान में शामिल, जिन्हें सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमा किया जाए):		-	-	-
एस्करो खाते में हस्तांतरित राशि				-

(पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए)

वार्षिक

अनुसूची-ख / प्रारूप: एनजीपीएल-5

वार्षिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रारूप:

वित्तीय वर्ष 20...-20... की सूचना

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम:

तिमाही	चालान की गई राशि	बकाया राशि	प्राप्त राशि
पहली तिमाही	-	-	-
दूसरी तिमाही	-	-	-

तीसरी तिमाही			
चौथी तिमाही			
कुल			
कर एवं शुल्क (चालान में शामिल, जिन्हें सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमा किया जाए):			
एस्क्रो खाते में हस्तांतरित राशि			

(पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए)

वार्षिक

अनुसूची-ख/ प्रारूप: एनजीपीएल-6 [विनियम 5(5)(क)(X) देखें]

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता निर्धारित करने से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने का प्रारूप

[वित्तीय वर्ष: 20.... - 20....]

1	कंपनी का नाम	
2	कंपनी का पता एवं संपर्क विवरण	
3	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम	
4	प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम	
5	प्रयुक्त अनुमोदित प्रवाह समीकरण का नाम	
6	पाइपलाइन पर इंजेक्शन/ प्रवेश बिंदु तथा डिलीवरी/ निकास बिंदुओं और खंडों का विवरण	
7	प्राकृतिक गैस की संरचना	
8	क्या कंपनी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी मानकों, विनिर्देशों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखने के लिए सहमत है	हाँ/नहीं
9	क्या कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के संबंधित विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखने के लिए सहमत है	हाँ/नहीं

10	स्थिर अवस्था की स्थितियों में पाइपलाइन की क्षमता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त स्थिर एवं परिवर्ती मापदंड	
11	वर्तमान परिचालन स्थितियों के अंतर्गत पाइपलाइन की क्षमता	
12	इन विनियमों के [विनियम 5] के अंतर्गत निर्धारित स्थिर अवस्था में पाइपलाइन की अधिकतम प्राप्त करने योग्य क्षमता	
13	इन विनियमों के [विनियम 5] के अंतर्गत निर्धारित पाइपलाइन की खंडवार अधिकतम प्राप्त करने योग्य क्षमता	
14	निकट भविष्य में अपेक्षित नए प्रवेश बिंदुओं और निकास बिंदुओं को जोड़ने का विवरण	

(पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए)

अनुसूची-ग / प्रारूप: पीपीपीएल-1क			
अनुसूची-ड. / प्रारूप: पीपीपीएल-1क		पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट: भौतिक मापदंड	
1. कंपनी का नाम			
2. परियोजना का नाम			
3. तिमाही		4. वित्तीय वर्ष	
पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का विवरण			
5. कुल अधिकृत लंबाई (कि.मी.)	6. कुल वेल्लिंग लंबाई (कि.मी.)	7. कुल बिछाई गई पाइपलाइन की लंबाई (कि.मी.)	8. कुल कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)
9. पाइपलाइन खंडों का विवरण: -			
नाम	राज्य	व्यास (इंच)	खंड की लंबाई (कि.मी.)
खंड 1			
...			
10. अधिग्रहण का प्रकार	स्थिति	लंबाई (कि.मी.)	टिप्पणियां
आरओयू 3(i)			
आरओयू 6(i)			

आरओयू 8							
आरओडब्ल्यू 3							
11. खंड की लंबाई	वेलिंग लंबाई (कि.मी.)	बिछाई गई पाइपलाइन की लंबाई (कि.मी.)	चालू की गई लंबाई (कि.मी.)				
तिमाही के लिए							
संचयी (परियोजना शुरू होने से)							
12. खंड में स्पर लाइन का विवरण							
स्पर लाइन	राज्य	वेलिंग लंबाई (कि.मी.)	बिछाई गई पाइपलाइन की लंबाई (कि.मी.)	चालू की गई लंबाई (कि.मी.)	चालू पाइपलाइन का %		
13. परियोजना पूर्णता की स्थिति	तिमाही के लिए		संचयी				
	चालू पाइपलाइन का %		चालू पाइपलाइन का %				
अधिकृत स्पर लाइन सहित मेन लाइन							
14. पंपों, मध्यवर्ती टर्मिनलों एवं डिलीवरी टर्मिनलों की संख्या			पिछली तिमाही तक	तिमाही के दौरान जोड़े गए	तिमाही के अंत में कुल		
पंप स्टेशन							
पंप							
डिलीवरी/डिस्पैच टर्मिनल							
रिसीविंग टर्मिनल							
मध्यवर्ती टर्मिनल/एसवी स्टेशन/पिगिंग स्टेशन							
कोई अन्य सूचना							
टिप्पणी:							
1. यदि किसी कॉलम में कोई डेटा नहीं है, तो '0' दर्ज करें। 2. रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।							

अनुसूची-ग/ प्रारूप: पीपीपीएल-1ख		पेट्रोलियम पाइपलाइनों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट: वित्तीय मापदंड		
1. कंपनी का नाम				
2. परियोजना का नाम				
3. स्वामित्व का विवरण	नाम		शेयर%	
	नाम		शेयर %	
	नाम		शेयर %	
	नाम		शेयर %	
4. समाप्त तिमाही की रिपोर्ट		5. वर्ष		
जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी आंकड़े लाख रुपए में प्रस्तुत किए जाएंगे।				
पूंजी निवेश				
6. स्थायी परिसंपत्तियां		12. अर्जित राजस्व		
प्रारंभिक शेष		पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन		
प्रत्यक्ष वृद्धि		अन्य आय		
चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) से अंतरण		कुल राजस्व		
विलोपन/अंतरण		13. लाभ/हानि		
अंतिम शेष		कर-पूर्व लाभ		
7. चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)		कर		
प्रारंभिक शेष		कर-पश्चात लाभ		
वृद्धि		14. ऋण की स्थिति		
स्थायी परिसंपत्तियों में अंतरण		(क) सावधि ऋण		
विलोपन/अंतरण		प्रारंभिक शेष		
अंतिम शेष		तिमाही के दौरान जोड़ा गया		
8. परिचालन व्यय		तिमाही के दौरान चुकाया गया		
बेची गई वस्तुओं की लागत		अंतिम शेष		
उपयोगिताएं – बिजली एवं ईंधन		औसत व्याज दर (%)		
वेतन		(ख) कार्यशील पूंजी ऋण		
मरम्मत एवं रखरखाव		प्रारंभिक शेष		

सामान्य प्रशासनिक व्यय		जोड़ा गया		
बीमा		चुकाया गया		
अन्य		शुद्ध परिवर्तन		
9. वित्तीय व्यय		औसत व्याज दर (%)		
कार्यशील पूंजी उधार पर व्याज		15. कोई अन्य सूचना (कृपया बॉक्स में लिखें)		
सावधि ऋण पर व्याज				
10. मूल्यहास				
11. कुल व्यय				
16. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:				
- यदि किसी कॉलम में डेटा उपलब्ध नहीं है, तो '0' दर्ज करें। - रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। - रिपोर्ट की स्कैन की गई प्रति, जिस पर कंपनी के निदेशक द्वारा विधिवत अधिकृत महाप्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर हों, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए। - वर्षांत (चौथी तिमाही) की वार्षिक रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा विधिवत प्रमाणित होनी चाहिए। - यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष की चारों तिमाहियों में प्रस्तुत आंकड़ों का कुल योग कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक आंकड़ों के बराबर हो।				

अनुसूची-ग/ प्रारूप: पीपीपीएल-2		पेट्रोलियम पाइपलाइन श्रृंखला पर मासिक रिपोर्ट	
1. कंपनी का नाम			
2. परियोजना का नाम			
3. माह		4. वर्ष	
5. लंबाई (किलोमीटर)		6. डिजाइन क्षमता (एमएमटी)	
7. बिछाई गई पाइपलाइन की लंबाई (कि.मी.)		8. वेल्डिंग की गई लंबाई (कि.मी.)	9. हाइड्रो-टेस्ट की गई लंबाई (कि.मी.)
10. माह	11. पाइपलाइन श्रृंखला डेटा (एमएमटी में, अधिकतम 3 दशमलव तक)		12. संचयी क्षमता उपयोग (%)
	मासिक	संचयी	
अप्रैल			
मई			
जून			
जुलाई			

अगस्त			
सितंबर			
अक्टूबर			
नवंबर			
दिसंबर			
जनवरी			
फरवरी			
मार्च			
13. कोई अन्य सूचना: (कृपया बॉक्स में लिखें)			
14. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:			
(1) यदि किसी माह के किसी कॉलम में डेटा उपलब्ध नहीं है, तो '0' दर्ज करें। (2) रिपोर्ट अगले माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। (3) हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी रिपोर्ट की स्कैन की गई प्रति, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।			

वार्षिक

अनुसूची-ग (पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन)

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 की धारा 13(1) और 14(9) के संदर्भ में, दिनांक 1 सितंबर, 2010 को अधिसूचित जी.एस.आर. 722(ड.)]

अनुसूची-ग (पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन)

पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता निर्धारित करने से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का प्रारूप

[वित्तीय वर्ष: 20.... - 20....]

1	कंपनी का नाम	
2	कंपनी का पता एवं संपर्क विवरण	
3	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का नाम	
4	क्षमता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम	
5	प्रयुक्त अनुमोदित प्रवाह समीकरण का नाम	
6	पाइपलाइन के इंजेक्शन/प्रवेश बिंदु, डिलीवरी/निकास बिंदु तथा खंडों का विवरण	
7	पाइपलाइन से परिवहन किए जा रहे विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता	
8	पाइपलाइन की क्षमता निर्धारित करने के लिए स्थिर अवस्था में प्रयुक्त स्थिर एवं परिवर्ती मापदंड	
9	क्या कंपनी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी मानकों, विनिर्देशों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखने के लिए सहमत है	हाँ/नहीं
10	क्या कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के संबंधित विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखने के लिए सहमत है	हाँ/नहीं
11	क्षमता निर्धारण के लिए ध्यान में रखे गए गुणवत्ता विनिर्देश	
12	वर्तमान परिचालन स्थितियों के अंतर्गत पाइपलाइन की क्षमता	
13	इन विनियमों के [विनियम 5] के अंतर्गत निर्धारित स्थिर अवस्था में पाइपलाइन की अधिकतम प्राप्त करने योग्य क्षमता	
14	इन विनियमों के [विनियम 5] के अंतर्गत निर्धारित पाइपलाइन की खंडवार अधिकतम प्राप्त करने योग्य क्षमता	

(पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए)

अनुसूची-घ (सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक एवं विनिर्देश (टी4एस))

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के लिए कार्यप्रणाली संहिता) विनियम, 2010 की धारा 23.0 के संदर्भ में, दिनांक 18 जनवरी, 2010 को अधिसूचित जी.एस.आर. 39(ड.)]

अनुसूची-घ/ प्रारूप: तकनीकी-1

आवधिक और तिमाही

घटना रिपोर्टिंग प्रारूप

1. संगठन		2. क्षेत्र	
3. स्थान		4. घटना क्रमांक	
5. घटना की तारीख		6. घटना का समय	
7. प्रमुख/ लघु/ निकट-चूक		8. रिपोर्ट – प्रारंभिक/ अंतिम	
9. आग/ घटना		10. आग की अवधि – घंटे/ मिनट	
11. घटना का प्रकार, जिसमें मृत्यु/चोट, आग, विस्फोट, ब्लोआउट, करंट लगना, ऊंचाई से गिरना, गैस का साँस के माध्यम से शरीर में जाना, वाहन चलाना, फिसलना/ ट्रिप, अन्य, लागू नहीं आदि शामिल हैं			
12. घटना का स्थान (प्लांट/कंपनी/क्षेत्र/सुविधा/टैंक फार्म/गैट्री/सड़क/पार्किंग क्षेत्र आदि का नाम):			
13. क्या प्लांट बंद हुआ अथवा सुविधा का संचालन बाधित हुआ? हाँ/ नहीं			
14. हताहतों की संख्या	(क) कर्मचारी =	(ख) ठेकेदार =	(ग) अन्य =
15. चोटों की संख्या	(क) कर्मचारी =	(ख) ठेकेदार =	(ग) अन्य =
16. गंवाए गए मानव-घंटे	(क) कर्मचारी =	(ख) ठेकेदार =	(ग) अन्य =
17. घटना से हुई प्रत्यक्ष क्षति (रुपए लाख में): उपकरण/मशीनरी को हुई क्षति, बीमा दावे आदि के अनुसार:			
18. अप्रत्यक्ष क्षति: श्रृंखला/उत्पादन में हानि आदि:			
19. सुविधा की स्थिति: निर्माण/ कमीशनिंग/ संचालन/ बंद करना/ टर्नअराउंड/ रखरखाव/ स्टार्टअप/ अन्य			
20. घटना का संक्षिप्त विवरण, जिसमें घटना के बाद किए गए उपाय भी शामिल हों। (विस्तृत विवरण अलग शीट पर संलग्न करें।)			
21. क्या इसी स्थान पर पहले भी ऐसी घटना हुई है? यदि हाँ, तो घटना का संक्षिप्त विवरण दें और अलग शीट पर विवरण संलग्न करें।			

22. क्या आंतरिक जांच पूरी हो गई है? यदि नहीं, तो संभावित पूर्णता की तारीख दें।		
23. क्या आंतरिक जांच रिपोर्ट (प्रमुख घटना) पीएनजीआरबी को प्रस्तुत की गई है? यदि नहीं, तो संभावित प्रस्तुत करने की तारीख दें।		
24. घटना का कारण (सबसे प्रासंगिक कारण पर निशान लगाएं; अधिमानतः एक, अधिकतम दो)		
क) निर्धारित प्रक्रिया से विचलन		1) पीपीई का उपयोग न करना
ख) कार्य संबंधी जानकारी का अभाव		ज) उपकरण की विफलता
ग) पर्यवेक्षण का अभाव		ट) खराब डिजाइन/लेआउट आदि
घ) अनुचित निरीक्षण		ठ) अपर्याप्त सुविधा
ड.) अनुचित रखरखाव (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रुमेंटेशन)		ड) खराब हाउसकीपिंग
च) सामग्री का अनुचित रख-रखाव		ढ) प्राकृतिक आपदा
छ) लापरवाही से वाहन चलाना		ण) चोरी/तोड़फोड़
ज) लापरवाही से चलना/चढ़ना आदि		त) कोई अन्य (विवरण दें)
25. रिसाव का कारण – तेल, गैस या रसायन (केवल एक पर सही का निशान लगाएं)		
क) उपकरण/लाइन की वेल्ड से रिसाव		ड.) अनुचित संचालन के कारण रिसाव
ख) फ्लैंज, ग्लैंड आदि से रिसाव		च) अनुचित रखरखाव के कारण रिसाव
ग) रोटरी उपकरण से रिसाव		छ) सामान्य संचालन – वेंटिंग/ड्रेनिंग
घ) धातुकर्म संबंधी विफलता		कोई अन्य
26. आग लगने का कारण (केवल एक पर सही का निशान लगाएं)		
क) हॉट वर्क के निकट		च) स्थैतिक विद्युत
ख) फर्नेस/फ्लेयर आदि के निकट		छ) हथौड़े से प्रहार/वस्तु का गिरना
ग) स्वतः प्रज्वलन		ज) घर्षण से उत्पन्न गर्मी
घ) ढीला विद्युत कनेक्शन		झ) बिजली गिरना
ड.) गर्म सतह के निकट		ज) कोई अन्य (पाइरोफोरिक आदि)
27. क्या घटना को टाला जा सकता था? हाँ/ नहीं		
F.2.1 28. घटना को निम्नलिखित उपायों द्वारा टाला जा सकता था: (सबसे प्रासंगिक बिंदु पर निशान लगाएं; अधिमानतः एक, अधिकतम दो)		
क) बेहतर पर्यवेक्षण		च) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)
ख) निर्धारित संचालन प्रक्रिया का पालन		छ) बेहतर उपकरण
ग) प्रशिक्षण प्रदान करना		ज) प्रबंधन नियंत्रण

घ) उचित योजना बनाकर गतिविधि के लिए पर्याप्त समय देना		झ) निर्धारित रखरखाव प्रक्रिया का पालन
ड.) कार्य परमिट प्रणाली का पालन		ञ) निर्धारित निरीक्षण/परीक्षण प्रक्रियाओं का पालन
ट) कोई अन्य सूचना		

घटना रिपोर्ट भरने के लिए दिशा-निर्देश:

1. छोटी घटनाओं और निकट-चूक के अंतर्गत आने वाली सभी घटनाओं का रिकॉर्ड कंपनी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में निरीक्षण के लिए रखा जाएगा।
2. 'बड़ी' घटना की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में पीएनजीआरबी को दी जाएगी और घटना होने के 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालांकि, 'प्रमुख' घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पीएनजीआरबी को टेलीफोन, ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से तुरंत और किसी भी स्थिति में घटना होने के 4 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए।
3. सभी बड़ी, छोटी और निकट-चूक घटनाओं की जानकारी तिमाही रिपोर्ट में दी जाएगी।
4. सभी प्रमुख, लघु और निकट-चूक घटनाओं के लिए घटना रिपोर्टिंग फॉर्म भरा जाएगा।
5. प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट के साथ सारांश रिपोर्ट संलग्न की जाएगी।
6. सभी प्रमुख, लघु और निकट-चूक घटनाओं की जांच की जाएगी।
7. सभी बड़ी घटनाओं की जांच रिपोर्ट पीएनजीआरबी को प्रस्तुत की जाएगी। किसी घटना को 'प्रमुख' माना जाएगा, यदि निम्नलिखित में से कोई स्थिति उत्पन्न होती है:
 - 15 मिनट से अधिक समय तक आग लगना
 - विस्फोट/ब्लोआउट
 - घातक घटना
 - [20 लाख रुपए] से अधिक की क्षति
 - 500 घंटे से अधिक के संचयी मानव-घंटों की हानि
 - घटना के कारण प्लांट बंद होना/संचालन बाधित होना
8. कार्य-दिवस हानि वाली घटना की निगरानी तब तक की जाएगी, जब तक प्रभावित व्यक्ति झूटी पर वापस नहीं आ जाता। यदि प्रभावित व्यक्ति अभी तक झूटी पर नहीं लौटा है, तो प्रस्तुत रिपोर्ट की स्थिति प्रारंभिक होगी। उसके झूटी पर लौटने और गंवाए गए मानव-घंटों की जानकारी उपलब्ध होने के बाद उसी घटना की अंतिम रिपोर्ट भेजी जाएगी।
9. सभी कॉलम भरना अनिवार्य है।
10. अतिरिक्त जानकारी के लिए आवश्यकता अनुसार अलग शीट का उपयोग करें।
11. तिमाही रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने के 15 से 30 दिनों के भीतर पीएनजीआरबी को भेजी जाएगी।
12. प्रचलित व्यवस्था के अनुसार घटना की फैक्स/टेलीफोन द्वारा तत्काल सूचना देना जारी रहेगा।

अनुसूची-घ: तकनीकी-2 (सततता – गैस परिचालन, निगरानी, रिसाव एवं हानियाँ)

F.2.2 सीजीडी में गैस परिचालन एवं निगरानी का प्रारूप						
कंपनी का नाम						
जीए का नाम						
जीए आईडी						
क्र. सं.	विवरण	मात्रा (एससीएम) वित्त वर्ष 2022-23	मात्रा (एससीएम) वित्त वर्ष 2023-24	मात्रा (एससीएम) वित्त वर्ष 2024-25	मात्रा (एससीएम) वित्त वर्ष 2025-26	टिप्पणियाँ
						खरीद की मात्रा को कंपनी के सभी जीए में समान रूप से उपयोग किए जाने वाले सामान्य जीसीवी रूपांतरण गुणांक से एससीएम में परिवर्तित करना होगा।
क	गैस खरीद					एपीएम, एनएपीएम, आरएलएनजी, सीबीजी आदि सहित सभी प्रकार की गैस की खरीद।
	(विपणन से प्राप्त स्रोत विवरण के अनुसार)					
1	एपीएम					
2	गैर-एपीएम (सभी घरेलू स्रोत, जैसे नया कृषा जीए, एचपीएचटी आदि शामिल)					
3	आरएलएनजी (सभी आयातित स्रोत, जैसे दीर्घकालिक, स्पॉट खरीद आदि शामिल)					
4	सीबीजी					
5	अन्य सीजीडी कंपनियों से खरीद					
6	उसी कंपनी के अंतर्गत अन्य जीए से प्राप्त स्टॉक					
	कुल गैस खरीद					
ख	गैस की बिक्री					
1	सीएनजी					सीएनजी बिक्री में कुल ऑनलाइन सीएनजी बिक्री, डीबीएस बिक्री, डॉटर स्टेशन आदि शामिल हैं।
1.1	ऑनलाइन					
1.2	डीबीएस					
1.3	डॉटर स्टेशन					
	कुल सीएनजी बिक्री					

2	सीबीजी					
3	पीएनजी- औद्योगिक					
4	पीएनजी- वाणिज्यिक					
5	पीएनजी- घरेलू					
6	अन्य सीजीडी कंपनियों को गैस बिक्री					
7	उसी कंपनी के अंतर्गत अन्य जीए को हस्तांतरित स्टॉक					
8	आंतरिक खपत					आंतरिक खपत में कंप्रेसर एवं गैस जेनसेट के लिए कैप्टिव खपत शामिल है।
8.1	कंप्रेसर एवं गैस जेनसेट के लिए कैप्टिव खपत					
8.2	जेनसेट के लिए कैप्टिव खपत					
	कुल आईसी					
	कुल गैस बिक्री					
ग	लाइन पैक में वृद्धि					पूरे वर्ष में चालू या बंद की गई स्टील/एमडीपीई पाइपलाइनों की कुल मात्रा। चालू की गई पाइपलाइन के लिए (+) और बंद की गई पाइपलाइन के लिए (-) आंकड़ा दर्ज करें।
1	पूरे वर्ष में चालू की गई स्टील पाइपलाइन (+) / बंद की गई स्टील पाइपलाइन (-) की कुल मात्रा					
2	पूरे वर्ष में चालू की गई एमडीपीई पाइपलाइन (+) / बंद की गई एमडीपीई पाइपलाइन (-) की कुल मात्रा।					
	परिवर्तन (क-(ख+ग))					
	% परिवर्तन					
	गैल की खरीद के संदर्भ में कुल त्रुटि (भारित औसत)					
घ	परिचालन संबंधी हानियाँ					
1	सीएनजी स्टेशन की हानियाँ					पूरे वर्ष में सभी पैकेजों के कंप्रेसर सक्शन में गैस की मात्रा में से आंतरिक खपत और डिस्चार्ज की

						मात्रा घटाने के बाद का वास्तविक अंतर
1.1	सीएनजी पैकेज हानि					
1.2	सीएनजी डिस्चार्ज बनाम बिक्री हानि					कंप्रेसर डिस्चार्ज और डिस्पेंसर बिक्री के बीच का अंतर
2	सीएनजी एवं पीएनजी की तकनीकी वेंटिंग हानि					कैस्केड वेंटिंग, लाइन क्षति, पर्जिंग, कमीशनिंग, एलसीवी परिवहन हानि आदि के कारण गैस की कुल हानि।
2.1	कैस्केड					
2.2	लाइन डाइवर्जन					
2.3	पर्जिंग					
2.4	कमीशनिंग					
2.5	एलसीवी परिवहन हानि					
	कुल परिचालन संबंधी हानियाँ					
	परिवर्तन (क-(ख+ग+घ))					
	% एल्यूएजी					
	अलेखांकित गैस हानि (भारित औसत)					
	परिचालन संबंधी हानि					
	परिचालन संबंधी हानि (भारित औसत)					

वार्षिक

अनुसूची-घ: तकनीकी-3 एनजीपीएल में गैस परिचालन एवं निगरानी का प्रारूप

एनजीपीएल में जीएएस प्रचालन और निगरानी (प्रारूप)											
कंपनी का नाम			अनुबंधित मात्रा (एमएमएससीएमडी)					रिपोर्ट की तिथि		xx-xx-xxxx	
नेटवर्क का नाम								रिपोर्टिंग वर्ष		2025-26	
प्राप्ति बिंदुओं की संख्या			डिलीवरी बिंदुओं की संख्या								
क्र. सं.		विवरण	वित्त वर्ष (2022-23)		वित्त वर्ष (2023-24)		वित्त वर्ष (2024-25)		वित्त वर्ष (2025-26)		टिप्पणियां
			एमएमएससीएम	एमएम बीटीयू	एमएमएससीएम	एमएम बीटीयू	एमएमएससीएम	एमएम बीटीयू	एमएमएससीएम	एमएम बीटीयू	
1		प्राप्तियाँ									सत्यापन प्रक्रिया के बाद प्राप्त मापन आंकड़े दर्ज किए जाएँ।
	1.1	पाइपलाइन में गैस का									विभिन्न स्रोतों से पाइपलाइन में डाली गई गैस।

	6.3	यूएफजी (करोड़ रुपये में, नीचे दिए गए परिकलन के अनुसार)								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कुल डिलीवरी	आयतन (एमएमएससीएम)		
	ऊर्जा (एमएमबीटीयू)		

टिप्पणी:

- ऊर्जा के आंकड़े जीएचवी आधार पर होंगे।
- आवश्यकता होने पर प्राप्तियों और डिलीवरी के उप-शीर्षकों में अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं।

वित्त वर्ष (2025-26)	यूएफजी के लेखांकन हेतु गैस के प्रकार	मूल्य (\$/एमएमबीटीयू)	मात्रा (एमएमबीटीयू)	मूल्य (\$)
	आरएलएनजी			
	एचपीएचटी			
	एपीएम			
	अन्य कोई			
	कुल			
	विनिमय दर (रु./\$)			
वित्त वर्ष (2024-25)	यूएफजी के लेखांकन हेतु गैस के प्रकार (वित्त वर्ष-1)	मूल्य (\$/एमएमबीटीयू)	मात्रा (एमएमबीटीयू)	मूल्य (\$)
	आरएलएनजी			
	एचपीएचटी			
	एपीएम			
	अन्य कोई			
	कुल			
	विनिमय दर (रु./\$)			
वित्त वर्ष (2023-24)	यूएफजी के लेखांकन हेतु गैस के प्रकार (वित्त वर्ष-2)	मूल्य (\$/एमएमबीटीयू)	मात्रा (एमएमबीटीयू)	मूल्य (\$)

	आरएलएनजी			
	एचपीएचटी			
	एपीएम			
	अन्य कोई			
	कुल			
	विनिमय दर (रु./\$)			
वित्त वर्ष (2022-23)	यूएफजी के लेखांकन हेतु गैस के प्रकार (वित्त वर्ष-2)	मूल्य (\$/एमएमबीटीयू)	मात्रा (एमएमबीटीयू)	मूल्य (\$)
	आरएलएनजी			
	एचपीएचटी			
	एपीएम			
	अन्य कोई			
	कुल			
	विनिमय दर (रु./\$)			

प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए।

द्विवार्षिक

अनुसूची-ड. (एलएनजी टर्मिनल)

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड [द्विकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल स्थापित करने और संचालित करने के लिए पंजीकरण] विनियम, 2025 की धारा 9 के संदर्भ में, जी.एस.आर. 360(ड.) दिनांक 8 मई, 2025 द्वारा अधिसूचित]

अनुसूची-ड./ प्रारूप: एलएनजी-1

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (एलएनजी टर्मिनल स्थापित और संचालित करने के लिए पंजीकरण) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल/1 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को सूचना प्रस्तुत करना (विनियम 9 देखें)]

1	कंपनी का नाम	
2	पीएनजीआरबी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख	
3	कुल पुनर्गैसीकरण क्षमता	एमएमटीपीए
4	दीर्घकालिक अनुबंधित क्षमता, अर्थात् 5 वर्ष या उससे अधिक	एमएमटीपीए
5	अल्पकालिक अनुबंधित क्षमता, अर्थात् 5 वर्ष से कम	एमएमटीपीए
6	हैंडल किए गए कार्गो की संख्या	अपने इस्तेमाल के लिए तीसरे पक्ष के लिए
7	कंपनी का नाम	अपने इस्तेमाल के लिए तीसरे पक्ष के लिए
8	Capacity utilisation	%
9	वर्तमान पुनर्गैसीकरण शुल्क	रु./एमएमबीटीयू
10	वर्तमान ट्रक लोडिंग शुल्क	रु./एमएमबीटीयू
11	प्रभारित हैंडलिंग गैस हानि	%
12	लगाए गए अन्य शुल्क	

वार्षिक

अनुसूची-च (अन्य शुल्क)

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार अधिरोपण) विनियम, 2007 के विनियम 4(7) के संदर्भ में, जी.एस.आर. 732(ड.) दिनांक 26 नवंबर, 2007 द्वारा अधिसूचित]

वित्तीय वर्ष 20...-... के लिए विनियम 4(1) के अंतर्गत तालिका के भाग-क के अनुसार देय एवं भुगतान किए गए अन्य शुल्क का विवरण

कंपनी का नाम				
कंपनी का पता				
(क) सीजीडी नेटवर्क के संबंध में भुगतान किए गए या देय अन्य शुल्क का विवरण				
सीजीडी नेटवर्क (जीए) का नाम	भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	प्राधिकरण प्रदान किए जाने या बोर्ड द्वारा उसकी स्वीकृति की तिथि से प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए या देय अन्य शुल्क (रु.)	टिप्पणियाँ
1.				
2.				
3.				
....				
उप-योग – (क)				

(प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए)

तिमाही

अनुसूची-छ: प्रारूप: एसपी-1	पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग, परिवहन एवं भंडारण
----------------------------	---

[illegible]

[illegible]

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।

तिमाही

अनुसूची-छ: प्रारूप: एसपी-2	एलपीजी की रिफाइनिंग, परिवहन एवं भंडारण
----------------------------	--

[illegible]

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं

वार्षिक

अनुसूची-छ: प्रारूप: एसपी-3	परिवहन लागत एवं मात्रा
----------------------------	------------------------

कंपनी का नाम:				उत्पाद: एलपीजी/बहु-उत्पाद		
वर्ष	परिवहन लागत (रु./मी.टन)			विभिन्न परिवहन माध्यमों से भेजी गई मात्रा का प्रतिशत (%)		
	रेल	सड़क	पाइपलाइन	% रेल	% सड़क	% पाइपलाइन
वित्त वर्ष -17						

वित्त वर्ष -18						
वित्त वर्ष -19						
वित्त वर्ष -20						
वित्त वर्ष -21						
वित्त वर्ष -22						
वित्त वर्ष -23						
वित्त वर्ष 24						
वित्त वर्ष 25						

प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए।

वार्षिक

अनुसूची-छ/ प्रारूप: एसपी-4	टैंक ट्रकों का विवरण
----------------------------	----------------------

वर्ष	कंपनी का नाम	टैंक ट्रक का आकार (प्राथमिक परिवहन में प्रयुक्त)	टैंकों की संख्या	किसके लिए प्रयुक्त (एलपीजी, एमएस+एचएसडी+एटीएफ)
वित्त वर्ष 25				
वित्त वर्ष 26				

पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए।

वार्षिक

अनुसूची-छ / प्रारूप: एसपी-5	पेट्रोलियम उत्पादों के प्राथमिक परिवहन में प्रयुक्त रेल वैगनों का विवरण
-----------------------------	---

वर्ष	कंपनी	रेल वैगन का आकार (प्राथमिक परिवहन में प्रयुक्त)	भारतीय रेल के स्वामित्व वाले रेल वैगनों की संख्या	किसके लिए प्रयुक्त (एलपीजी, एमएस+एचएसडी)
वित्त वर्ष 25				
वित्त वर्ष 26				

पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए।

वार्षिक

कंपनी का नाम :

अनुसूची-छ / प्रारूप: एसपी-6							फ्रेक्शनेटरों का विवरण एवं कनेक्टिविटी संबंधी जानकारी		
क्र. सं.	फ्रेक्शनेटर का नाम	क्षमता (एमएमटीपीए)	उत्पादित एलपीजी (एमएमटीपीए)	अक्षांश	देशांतर	राज्य	कनेक्टेड माध्यम (पाइपलाइन/ रेल/ सड़क/ तटीय)	पाइपलाइन का नाम	टिप्पणियाँ
1									
2									
3									
4									
5									

पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए।

वार्षिक

वास्तविक समय

अनुसूची-ज/ प्रारूप: एनएचआईएमएस-1

एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (बीपी-1)

क्र. सं.	पाइपलाइन संबंधी सूचना	विवरण/टिप्पणियाँ
1	कंपनी का नाम	
2	पाइपलाइन का नाम	
3	पाइपलाइन आईडी	
4	प्रकार	पीपीपीएल/ एनजीपीएल/ सीजीडी
5	यदि पीपीपीएल है, तो पीपीपीएल का उत्पाद	एलपीजी, एटीएफ, बहु-उत्पाद
6	अधिकृत लंबाई	कि.मी.
7	परिचालन लंबाई	कि.मी.
8	निर्माणाधीन लंबाई	कि.मी.
9	प्राधिकार की तारीख	
10	अधिकृत क्षमता	एमएमएससीएमडी (एनजीपीएल), कि.ली. (पीपीपीएल)
11	सामान्य वाहक के आधार पर क्षमता	एससीएमडी (एनजीपीएल), कि.ली. (पीपीपीएल)
12	डिजाइन दबाव	बार
13	डिजाइन तापमान	डिग्री सेल्सियस

14	प्रवेश बिंदुओं की संख्या	स्रोतों की संख्या
15	निकास बिंदुओं की संख्या	
16	कंप्रेसर/ पंपों की संख्या	
17	भंडारण डिपो/ टर्मिनल/ एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों की संख्या	पीपीपीएल के मामले में
18	ग्राहकों की संख्या	
19	पाइपलाइन की परिचालन स्थिति	पूर्ण/ आंशिक/ रखरखाव के अधीन
20	परिचालन का माह/वर्ष	

वास्तविक समय

अनुसूची-ज / प्रारूप: एनएचआईएमएस-2

एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (बीएनपी-2)

क्र.सं.	कंप्रेसर स्टेशन संबंधी जानकारी	विवरण/टिप्पणियाँ
1	पाइपलाइन आईडी	
2	कंप्रेसर स्टेशन	कंपनी द्वारा निर्धारित आईडी
3	कंप्रेसरों की संख्या	
4	राज्य	
5	जिला	
6	पता	
7	पिन कोड	
8	स्थान का अक्षांश	
9	स्थान का देशांतर	

वास्तविक समय

अनुसूची-ज/ प्रारूप: एनएचआईएमएस-3

एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (बीपी-3)

स्रोत/ प्रवेश बिंदु		
1	कंपनी	
2	पाइपलाइन आईडी	
3	प्रवेश बिंदु	रिफाइनरी/ एलएनजी टर्मिनल/ ओएनजीसी/ सीबीजी / पाइपलाइन / अन्य
4	स्रोत आईडी	कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट आईडी
5	स्रोत का नाम	

6	राज्य	
7	जिला	
8	पता	
9	पिन कोड	
10	स्थान का अक्षांश	
11	स्थान का देशांतर	
12	अनुबंधित मात्रा	एससीएमडी (एनजीपीएल), केएल (पीपीपीएल)

वास्तविक समय

अनुसूची-ज/ प्रारूप: एनएचआईएमएस-4
एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (बीपीपी-4)

क्र.सं.	पंपिंग स्टेशन संबंधी जानकारी	टिप्पणियाँ
1	पाइपलाइन आईडी	
2	पंपिंग स्टेशन	कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट आईडी
3	पंपों की संख्या	
4	राज्य	
5	जिला	
6	पता	
7	पिन कोड	
8	स्थान का अक्षांश	
9	स्थान का देशांतर	

अनुसूची-ज/ प्रारूप: एनएचआईएमएस-5
एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (बीपीपी-5) — वास्तविक समय

क्र.सं.	भंडारण डिपो/ टर्मिनल/ एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र (पीपीपीएल के लिए)	टिप्पणियाँ
1	कंपनी	
2	भंडारण डिपो/टर्मिनल/एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र (नाम एवं आईडी)	कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट आईडी
3	राज्य	
4	जिला	
5	पता	
6	पिन कोड	

7	स्थान का अक्षांश	
8	स्थान का देशांतर	
9	उत्पाद क्षमता (एटीएफ, एलपीजी, एमएस, एसएसडी, नैफ्था, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, बिटुमेन, पेट्रोलियम कोक आदि) कि.ली. में	प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग कॉलम

वास्तविक समय

अनुसूची-ज/ प्रारूप: एनएचआईएमएस-6

एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (बीपी-6)		
क्र.सं.	ग्राहक संबंधी विवरण (एनजीपीएल / पीपीपीएल)	टिप्पणियाँ
1	कंपनी	
2	पाइपलाइन आईडी	
3	निकास बिंदु	कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट आईडी
4	ग्राहक आईडी	कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट आईडी
5	ग्राहक का नाम	
6	राज्य	
7	जिला	
8	पता	
9	पिन कोड	
10	स्थान का अक्षांश	
11	स्थान का देशांतर	
12	अनुबंधित क्षमता	एससीएमडी (एनजीपीएल), केएल (पीपीपीएल)
13	अनुबंधित न्यूनतम दबाव	सीमा (बॉर/ कि.ग्रा./सें.मी.²ग्रा.)
14	क्षेत्र के अनुसार ग्राहक	नीचे दिए गए 15-21 में से कोई एक
15	विद्युत	
16	उर्वरक	
17	नगर गैस	
18	पेट्रोकेमिकल एवं रिफाइनरियाँ	
19	स्पंज आयरन एवं इस्पात	
20	विमानन	
21	अन्य/ आंतरिक खपत	

वास्तविक समय

अनुसूची-ज/ प्रारूप: एनएचआईएमएस-7

एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (टीएन-1)		
क्र.सं.	एनजीपीएल के लिए लेन-देन संबंधी प्रविष्टि (एपी। के माध्यम से)	टिप्पणियाँ
1	कंपनी	
2	पाइपलाइन आईडी	
3	तारीख	डी+1
4	समय (24 घंटे के प्रारूप में)	घंटा:मिनट
5	प्रवेश बिंदु/ स्रोत	ओएनजीसी/ पीएलएल/ कोनबन/ सीबीजी आदि
6	प्रवेश क्षमता	एससीएमडी में
7	दिनांक की इनपुट मात्रा	एससीएमडी में
8	परिचालन दबाव	बार
9	परिचालन तापमान	डिग्री सेल्सियस
10	सकल कैलोरी मान	केकैल/एससीएम
11	विशिष्ट गुरुत्व	संख्या
12	मीथेन	मोल %
13	एथेन	मोल %
14	प्रोपेन	मोल %
15	आइसो-ब्यूटेन	मोल %
16	एन-ब्यूटेन	मोल %
17	आइसोपेंटेन	मोल %
18	हेक्सेन	मोल %
19	ऑक्टेन	मोल %
20	नाइट्रोजन	मोल %
21	कार्बन डाइऑक्साइड (से कम)	मोल %
22	जलवाष्प (से कम)	मोल %
23	सल्फर (से कम)	पीपीएम
24	हाइड्रोजन सल्फाइड (से कम)	पीपीएम
25	ऑक्सीजन (से कम)	मोल %
26	कुल निष्क्रिय गैसों (से कम)	मोल %
27	हाइड्रोकार्बन ड्यू पॉइंट (से कम)	डिग्री सेल्सियस

28	जल ड्यू पॉइंट (से कम)	डिग्री सेल्सियस
----	-----------------------	-----------------

वास्तविक समय

अनुसूची-ज / प्रारूप: एनएचआईएमएस-8

एनएचआईएमएस डेटा स्कीमा (टीएन-2)		
क्र. सं.	एनजीपीएल के लिए लेन-देन संबंधी निकासी	टिप्पणियाँ
1	कंपनी	
2	पाइपलाइन आईडी	
3	तारीख	डी+1
4	समय (24 घंटे के प्रारूप में)	घंटा:मिनट
5	निकास आईडी	
6	ग्राहक आईडी	
7	निकासी मात्रा	एससीएमडी में

वास्तविक समय

अनुसूची-ज/ प्रारूप: एनएचआईएमएस-9

एनएचआईएमएस डेटा स्कीमा (टीपी-3)		
क्र.सं.	पीपीपीएल के लिए लेन-देन संबंधी भंडारण डिपो/ टर्मिनल/ एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र	टिप्पणियाँ
1	कंपनी	
2	भंडारण डिपो/टर्मिनल/एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र (नाम एवं आईडी)	कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट आईडी
3	तारीख	डी+1
4	समय (24 घंटे के प्रारूप में)	घंटा:मिनट
5	दैनिक उत्पाद आवक (एटीएफ, एलपीजी, एमएस, एचएसडी, नैफ्था आदि) कि.ली. में	प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग कॉलम
6	दैनिक उत्पाद निकासी (एटीएफ, एलपीजी, एमएस, एचएसडी, नैफ्था आदि) कि.ली. में	प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग कॉलम

वास्तविक समय

अनुसूची-ज/ प्रारूप: एनएचआईएमएस-10

एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (टीपी-4)		
क्र.सं.	पीपीपीएल के लिए लेन-देन संबंधी प्रवेश	टिप्पणियाँ
1	कंपनी	
2	पाइपलाइन आईडी	
3	स्रोत/ प्रवेश बिंदु आईडी	रिफाइनरी/ पाइपलाइन
4	तारीख	डी+1
5	समय (24 घंटे के प्रारूप में)	घंटा:मिनट
6	दैनिक उत्पाद आवक (एटीएफ, एलपीजी, एमएस, एचएसडी, नैफ्था आदि) कि.ली. में	प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग कॉलम

वास्तविक समय

अनुसूची-ज / प्रारूप: एनएचआईएमएस-11

एनएचआईएमएस डेटा स्कीम (टीपी-5)		
क्र.सं.	पीपीपीएल के लिए लेन-देन संबंधी निकासी	टिप्पणियाँ
1	कंपनी	
2	पाइपलाइन आईडी	
3	भंडारण डिपो/ टर्मिनल/ एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र आईडी/ पाइपलाइन/ ग्राहक आईडी	
4	तारीख	डी+1
5	समय (24 घंटे के प्रारूप में)	घंटा:मिनट
6	दैनिक उत्पाद निकासी (एटीएफ, एलपीजी, एमएस, एचएसडी, नैफ्था आदि) कि.ली. में	प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग कॉलम

टिप्पणियाँ

क्र.सं.	विशेषताएँ	विवरण/ टिप्पणियाँ
1	कंपनी	जीएआईएल, जीएसपीएल, आईओसीएल, पीआईएल
2	पाइपलाइन आईडी	पीएनजीआरबी द्वारा प्रदान की गई पाइपलाइन की विशिष्ट आईडी। उदाहरण: दादरी-पानीपत के लिए 17.10
3	तारीख	डी+1 — 15/08/2025 का डेटा 16/08/2025 को 06:00 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।
4	ग्राहक आईडी	कंपनी द्वारा सैप/ किसी अन्य प्रणाली में दी गई ग्राहक आईडी
5	सीबीजी	संपीड़ित जैव-गैस

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2026

F. No. PNGRB/Statistics/Regulation(DB&IS)/23/2025-(e-6331).—In exercise of the powers conferred by clause (x) of sub-section (2) of section 61 read with clause (h) of Section 11 and Section 51 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Databank and Information System) Regulations, 2026.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
 - (b) “Board” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006);
 - (c) “entity” shall mean an entity as defined under clause (p) of Section 2 of the Act.
 - (d) “data” means any information, whether structured or unstructured, submitted, filed, furnished, or reported by an entity to the Board, whether in electronic or physical form, for processing, analysis, verification, storage, or such other regulatory action as may be undertaken by the Board in accordance with the provisions of the Act, the rules, and the regulations made thereunder;
 - (e) “data anonymization” means a process of information sanitization to protect identity of the entity by the process of either encrypting or removing identifiable information from data sets, describing identifiers as anonymous;
 - (f) “data publication” means a set of data and information collated, processed and published by the Board, for the purpose of periodical dissemination through publication, sharing and any other modes, depicting analysis and trends for awareness of consumer and public;
 - (g) “processing” means a wholly or partly automated operation or set of operations performed on data, and includes operations such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation, retrieval, use, alignment, combination, indexing, sharing, and disclosure by transmission, dissemination or any other mode.
 - (h) “Schedule” means a schedule, including formats specified therein, attached to these regulations;
 - (i) “specified time” means the timeline for submission of data as indicated in the respective Schedule;
 - (j) “statistical report” means a structured presentation of data, compiled and analysed by the Board, in the form of tables, charts, summaries, or any other manner, for the purpose of dissemination of statistical information, insights, or trends;
 - (k) “structured data” means data that is organised in a predefined format or schema, including reports, records, documents, returns, rows and columns, classifications, and metadata, enabling easy storage, retrieval, and statistical analysis;
 - (l) “unstructured data” means data that does not conform to a predefined format or schema, including text, documents, images, audio, or other non-tabular forms, which require processing or transformation before statistical analysis.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application.

These regulations shall apply to an entity engaged or intending to be engaged in refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing, import and export of petroleum, petroleum products and natural gas including laying of pipelines for transportation of petroleum, petroleum products and natural gas, or laying, building, operating or expanding city or local natural gas distribution network or establishing and operating a liquefied natural gas terminal.

4. Objectives for collection of data.

- (1) The objectives for collection of data are namely for: -
 - (a) consumer awareness and protection of their interest;
 - (b) fostering fair trade and competition amongst entities;
 - (c) promoting competition among entities;
 - (d) avoiding infructuous investment;
 - (e) regulating open access and transportation tariff for common carriers or contract carriers;
 - (f) technical standards and specifications including safety standards in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas.;
 - (g) maintaining or increasing supplies or for securing equitable distribution or ensuring adequate availability or ensuring uninterrupted supply of petroleum, petroleum products and natural gas to consumers;
 - (h) perform such other functions to carry out the provisions of the Act, rules, regulations as notified from time to time.
- (2) The Board may process, and issue statistical reports based on the data furnished by entities. The reports shall be webhosted on the official website of the Board and may be disseminated in any manner.

5. Form and manner for submission of data.

- (1) An entity which is laying, building, operating or expanding, or which proposes to lay, build, operate or expand, a city or local natural gas distribution network, shall submit the data, as specified under Schedule-A, on or before the date specified therein.
- (2) An entity engaged in laying, building, operating or expanding, or which proposes to lay, build, operate or expand any pipeline for transportation and/or marketing of natural gas, shall submit the data, as specified under Schedule-B, on or before the date specified therein.
- (3) An entity which is laying, building, operating or expanding, or which proposes to lay, build, operate or expand, any pipeline for transportation and/or marketing of petroleum and petroleum product, shall submit the data, as specified under Schedule-C, on or before the date specified therein.
- (4) An entity, for the purposes of technical standards and specifications including safety standards in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas, including the construction and operation of pipeline and infrastructure projects related to downstream petroleum and natural gas sector, shall submit the data, as specified under Schedule-D, on or before the date specified therein.
- (5) Any entity operating or desirous of establishing or operating a liquefied natural gas terminal, shall submit the data, as specified under Schedule-E, on or before the date specified therein.
- (6) Every entity for the purpose of levy fee and other charges, shall submit the data, as specified under Schedule-F, on or before the date specified therein.
- (7) Any entity Registered and Operating in Refining, Transportation and Storage of POL shall submit the data on Refining, Transportation and Storage as specified under Schedule-G, on or before the date specified therein.
- (8) Every entity Registered and Operational in the specific activities in Petroleum and Natural Gas sector for which data has been sought shall submit the data on NHIMS as specified under Schedule-H, on or before the date specified therein.
- (9) Notwithstanding anything contained in this regulation, the Board may for the purpose of Regulation 4, seek data not forming part of a Schedule to this regulation, in the mode and manner, on or before a date, as specified through the public notice.
- (10) For submission of data as specified under sub-regulation (1) to (8) of this regulation, the entities shall submit the data as per the mode and manner specified by the Board through public notice as issued from time to time, subject to technological developments, operational readiness, or administrative feasibility:

Provided that where entity submits data under these regulations, in such an event, the Board may consider it as submission with other applicable regulations, as previously notified, where duplicity of subject matter is established.

6. Confidentiality and anonymization of data and information.

- (1) The Board shall maintain confidentiality of data furnished by an entity under these Regulations, as marked confidential by the entity, and shall not disclose such information except in accordance with the provisions of the Act, regulations as notified from time to time, or any other law for the time being in force:

Provided that where the Board is of the opinion that any data marked confidential by an entity, warrants disclosure in public interest and statutory scheme of the Act and regulations notified,

then it may permit anonymization in whole or in part or reject such request to keep such data as confidential, after giving an opportunity of being heard and recording reasons in writing.

Provided further that notwithstanding first proviso, the Board may disclose such data marked as confidential by an entity, where—

- (a) Subject data is already available in the public domain; or
- (b) Disclosure is made with the prior written consent of the concerned entity; or
- (c) Disclosure is required under the Act or any other law for the time being in force; or
- (d) Disclosure is directed by any Court, Tribunal or other competent authority.

7. Power to call and verification of data.

- (1) Where the Board considers it necessary for the purposes of verifying the completeness, correctness or consistency of any data or information furnished by an entity under these Regulations, it may, by notice direct the entity to furnish such additional information, records, explanations or supporting documents, within such reasonable period as may be specified therein.
- (2) The Board may, where considered necessary, authorize any officer of the Board or technically competent person or agency, for the limited purpose of verification of data or information furnished under these Regulations:

Provided that where an officer, competent person or agency is authorized by the Board, in such an event, it shall—

- (a) maintain strict confidentiality of all information obtained during verification;
- (b) disclose any conflict of interest before undertaking such verification; and
- (c) use the information solely for the purposes authorised under these Regulations.

8. Default and Consequences.

- (1) Every entity shall furnish complete, accurate and authentic data, information and returns in accordance with these Regulations and shall exercise due diligence to ensure timely compliance.
- (2) The Board may monitor compliance with these Regulations and, where necessary, seek clarification, correction or additional information from the entity.
- (3) The Board may initiate an action under sub-regulation (4), where it is of the opinion that an entity has committed any of the following defaults, namely: —
 - (a) failure to furnish data, information or returns within the specified time;
 - (b) furnishing incomplete information; or
 - (c) furnishing false, fabricated or tampered data or information.
- (4) For the purpose of sub-regulation (3), the Board shall follow the procedure, namely:
 - (a) the Board shall issue a notice to the defaulting entity indicating the default as specified under sub-regulation (3), clause (a) and clause (b) and provide the time period to rectify such default and fulfill its obligations.
 - (b) no punitive action shall be taken in case remedial action is taken by the entity to the satisfaction of the Board within the specific period.
 - (c) where an entity fails to rectify the default within the remedial time to the satisfaction of the Board under sub-regulation (2), or defaults under sub-regulation (3) clause (c) of this Regulation, it shall be liable to face the imposition of civil penalty as per Section 28 of the Act, as per following procedure:
 - i. The Board shall issue a notice to the entity, and provide an opportunity of being heard;
 - ii. After examining the default and response of the entity, the Board may either issue an advisory or pass an order imposing a civil penalty, an amount which shall not exceed one crore rupees for each contravention, and in case of a continuing failure, additional penalty which may extend to ten lakh rupees for every day.

9. Display and publication of information.

- (1) Every entity shall, for the benefit of consumers and the awareness of general public, display and publish data, or extracts thereof, as may be specified or directed by the Board from time to time, in the manner and within the time specified, on its official website and at such offices or business premises.
- (2) The information referred to under sub-regulation (1) shall be made available in English, Hindi and vernacular language, at the cost of the entity.

10. Protection of action taken in good faith.

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the members of Board, or any officer,

employee, person acting in discharge of duties and functions under the direction of the Board, for anything done or intended to be done in good faith, in line with the objectives of Act and these regulations.

11. Interpretation and removal of difficulties.

If any question arises relating to the interpretation or implementation of these Regulations, the Board may, by order, issue such clarification or interpretation as may be necessary for the effective implementation of these Regulations, consistent with the provisions of the Act and regulations as notified from time to time:

Provided that no such order shall have the effect of modifying, enlarging or curtailing any substantive right, obligation or liability under the Act or any regulations as notified by the Board from time to time.

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./306/2026-27]

Schedule-A (City Gas Distribution)

[Ref. Section 13 and 14(10) of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, Notified vide G.S.R 196 (E) dated 19th March, 2008. Format E6 and E7 Ins. by, point ii, Cl (i), sub-reg (I) of reg (3), by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2025 (w.e.f. 25.04.2025).

CGD Capacity Determination Regulations

PNGRB (Determining Capacity of City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2015.

SCHEDULE A [see regulation 5(5) (vi)]

Commercial						
Industrial						
Total						
PNG Domestic Connections – for the GA						
Pro-rated Target as on current Month		Cumulative as on current Month			Short-fall (%)	
Pending PNG Registration for Connections (Domestic Customers) – GA Wise						
0-30 Days						
31-60 Days						
61-90 Days						
More than 90 Days						
Total Pending PNG Registration for the current Month						

Timelines for Report Submission: An entity shall submit the Progress Reports in Online Portal for each of the months of January, February, April, May, July, August, October, November within 20 days of the following month and for each of the months of March, June, September, December (Quarter end Months) within 30 days of the following month. The nodal officer appointed by the Entity shall be responsible for submission of correct data in timebound manner.

Monthly

Schedule A: Format: CGD-2		Monthly Report on CNG Station and Sale				
As on Month & Year		CNG Stations (Nos.)	Compression Capacity (Kg/Day)	For the current Month		Cumulative for current FY
				Kg	SCM	Kg SCM
Target						
Achievement						
Shortfall (%)						
CNG Station Code/Number						
Name of CNG Station & Status						
Date of Commissioning						
Full Address of CNG Station						
District					Charge Area	
Latitude & Longitude						
Location of CNG Station						
Type of CNG Station						
Model of CNG Station						
Operated through						
Name of OMC						
Compression Capacity (Kg/24 Hrs)						
Number of Compressors/Boosters						
Number of Dispensing Units						
CNG Station Code	Sale of Natural Gas (Kg)	Conversion Factor			Sale of Natural Gas (SCM)	
CNG Station 1						

CNG Station 2			
CNG Station 3			
CNG Station 4			
And so on.			
Total (Sale)			

Timelines for Report Submission: An entity shall submit the Progress Reports in Online Portal for each of the months of January, February, April, May, July, August, October, November within 20 days of the following month and for each of the months of March, June, September, December (Quarter end Months) within 30 days of the following month. The nodal officer appointed by the Entity shall be responsible for submission of correct data in timebound manner.

Monthly

Schedule A: Format: CGD-3		Monthly Report on Pipeline Infrastructure and City Gate Station (CGS)					
		Steel			MDPE		Steel + MDPE
Unit ☐		Inch (Dia)	KM (Length)	Inch-KM (A)	Inch (Dia)	KM (Length)	Inch-KM (B)
As on Previous Month		-			-		
For the Current Month		Dia 1			Dia 1		
		Dia 2			Dia 2		
		Dia 3 and so on			Dia 3 and so on		
Cumulative as on Current Month		Total			-		
Steel Pipeline (as applicable) - GA		Steel & MDPE Pipeline (as applicable) - GA					
Cumulative	Short-fall	Target			Cumulative	Short-fall	
Infrastructure – City Gate Station (CGS)							
CGS Location (Address) including Longitude, Latitude							
Tap-off Location (Address) including Longitude, Latitude							
In case Tap-off Location is outside authorized GA							
Details of Sub-transmission Pipeline (Inch-KM)							
Name of Pipeline Entity							
Hook-up Agreement Executed on							
CGS Commissioned on							
Capacity of CGS (SCMH)							
Irrespective whether the CGD entity has Steel Inch Km as MWP target or Pipeline Inch Km as MWP target, both Steel and MDPE Inch Km should be collected from the entity.							
Timelines for Report Submission: An entity shall submit the Progress Reports in Online Portal for each of the months of January, February, April, May, July, August, October, November within 20 days of the following month and for each of the months of March, June, September, December (Quarter end Months) within 30 days of the following month. The nodal officer appointed by the Entity shall be responsible for submission of correct data in timebound manner.							

Schedule-A / Format: CGD-4		Segments-wise Cost Sheet for the Quarter ____ of financial year 20XX-YY		
Name of the Authorised Entity				
Name Of Geographical Area				
PNGRB MWP parameters (Cumulative / up to the Qtr. end)		MWP Targets	Achievement	% achieved
Compression Capacity (Kg/Day)				
Inch-Km of Steel & MDPE P/L				
Domestic PNG Connections (Nos.)				

Segments	DPNG	CNG	PNG(C&I)	LNG	Others (with details ,if any)	Total
Sales Quantity (in SCM)						
Revenue from Operations / Continued Business						Rs.in Lacs
Sale of Products						
Other Operating Income (if any . With details)						
Total						
Direct expenses : (with reasonable basis of allocation , where ever applicable)						
Cost of Gas sold (with Break-up & with Quantitative details)						
APM / NAPM / UBP / NWG / HPHT / CBG						
Others (RNLG/ MDP etc.)						
Gas Loss (separate break-up for Quantitative Reco.)						
LNG Regasification Cost/Facilitation Charges						
Excise Duty on Sale of Compressed Natural Gas						
Compression charges						
CNG Dispensing Charges						
Vehicle Hire Charges LCV/ERV						
Dealer Commission						
Lease Rent - CNG stations etc.						
Vehicle Hire & Running Expenses						
Power Charges						
Fuel Charges						
Electricity Charges						
Water Charges						
Consumables and Chemicals						
Rates & Taxes						
R&M -Plant & Machinery						
R&M -Buildings						
R&M -Others						
Insurance Charges						
Stores & Spares Consumed						
Inventory obsolescence						
Rent-other than office						
Software / Data Processing Expenses						
Any other Direct Expenses (with Details)						
Total Direct Expenses						
Indirect expenses : (with reasonable basis of allocation , where ever applicable)						
Manpower cost / Employee Benefit Expenses						
Rates & Taxes-office						
Communication Expenses						
Printing & Stationery						
Security Expenses						
Travelling Expenses						
Recruitment expenses						
Seminar and training expenses						
Vehicle Hire & Running Expenses (Admin./ Office)						
Rent-Office/Admin./Corporate/Registered Office						
Office Administration Charges						
Consultancy & Legal Charges						
Depreciation on Leased Assets						
Depreciation (with segment-wise details of Assets)						

Amortisation						
Interest on Lease Liabilities						
Interest on Borrowings / Loans						
Payment to Auditors						
Any other Indirect Expenses (with Details)						
Total Indirect Expenses						
S&D , Other Expenses / Provisions						
Selling & Distribution Expenses						
Business Development Expenses						
Books & Periodicals						
Advertisement & Publicity						
Exceptional Items (Prior Period Adj./Abnormal Loss etc.)						
Loss on sale of Fixed asset						
CSR Expenses						
Provision for Losses/Obsolescence (other than Inventory)						
Provision/Loss on Capital Items						
Provision for Doubtful debts / claims						
Expected credit loss allowance on Financial Assets						
Other Miscellaneous Expenses (with details)						
Loss/(Gain) of Foreign Currency Transaction						
Any other Expenses / Provisions (with Details)						
Total S&D , Other Expenses / Provisions						
Other Income (with details to be attached)						
Standalone Profit/Loss before Tax as per Profit/Loss Account						

Notes :

- (1) Fuel & Utilities (Electricity , Diesel , Water & other Utilities) details of quantity, rate , running hours and value - to be provided separately.
- (2) Basis and calculation of allocation of Common expenses to be provided separately.
- (3) A separate details of Asset Register(including CWIP) , segment-wise bifarcation & depreciation calculation to be attached
- (4) Separate sheet to be attached for corresponding Previous Quarter , Upto the Quarter (both previous and Current) and previous Financial Year.
- (5) Entities with multiple GA and/or Other business to provide GA-wise Cost-Sheets and a reconciliation statement with Entity level Profit & Loss A/c.
- (6) To be submitted Quarterly & within 30days from the last date of submission of financial results as per the Securities and Exchange Board of India (SEBI (LODR) Regulations, 2015, specifically Regulation 33, for listed entities) duly signed by the Key Managerial Person (CFO / CS / CEO etc.) of the Entity and if needed, PNGRB may ask for submission of the same duly Certified by practising CA / CMA . However the annual submission to be certified by Statutory Auditor / practising CA / CMA. This timeline for submission is applicable for all Entities whether listed or not .

Monthly

Schedule A: Format: CGD-5			Monthly report on APM allocation, RLNG, CBG & HPHT		
APM Allocation			RLNG, HPHT		
Domestic APM	CNG APM	Total Allocation	RLNG	HPHT	CBG
Timelines for Report Submission: An entity shall submit the Progress Reports in Online Portal for each of the months of January, February, April, May, July, August, October, November within 20 days of the following month and for each of the months of March, June, September, December (Quarter end Months) within 30 days of the following month. The nodal officer appointed by the Entity shall be responsible for submission of correct data in timebound manner.					

Schedule A: Format: CGD-6		Monthly Report on CAPEX & Opex (GA wise)
As per DFR		
For 5 Year	For 8 Year	For 25 Year

Capex for Previous FY	Capex Planned for Current FY	Total CAPEX incurred as on (dd.mm.yyyy) for Current FY	Cumulative CAPEX as on (dd.mm.yyyy)

OPEX for Previous FY	Total OPEX incurred as on (dd.mm.yyyy) for Current FY	Cumulative OPEX since Inception (dd.mm.yyyy)

Timelines for Report Submission: An entity shall submit the Progress Reports in Online Portal for each of the months of January, February, April, May, July, August, October, November within 20 days of the following month and for each of the months of March, June, September, December (Quarter end Months) within 30 days of the following month. The nodal officer appointed by the Entity shall be responsible for submission of correct data in timebound manner.

Periodic

Schedule A: Format: CGD-7		Format for seeking Capacity Booking in City or Local Natural Gas Distribution Network	
Block- 1 : Identification Particulars			
1. Name of Entity:			
2. Name of CGD Network:			
3. Contact details:			
Block-2 : Technical details			
1. Name of Entry Points and Entry Point Capacities			
Entry Point	Name	Capacity	
		In Volume Terms	In Energy Terms
Point-1			
Point-2			
Point-3			
Point-4			
Point-5			

2. Name of Exit Points and Exit Point Capacities				
Exit Point	Name	Capacity		
		In Volume weight Terms*		In Energy Terms
Point-1				
Point-2				
Point-3				
Point-4				
Point-5				
3. Technical Parameters at entry Point				
Acceptable Range of				
Pressure	Temperature	CV		
4. Capacity used for own requirement (MMBTU)				
Own	Associates	Affiliates	Total	
5. Capacity already booked under Common Carrier or Contract Carrier				
In volume Terms	In energy Terms	In Kgs. For CNG)		
6. Capacity available in the CGD Network to				

Shippers				
In volume Terms	In energy Terms	In Kgs. For CNG)		
7. Any other Information/ relevant Remarks not covered above.				

Note: Capacity of CNG : In Kgs and Other than CNG to be reported in Volume

Schedule A: Format: CGD-8	QUARTERLY REPORT FORMAT FOR ENTITIES
----------------------------------	---

Consumer Complaint Cell - Quarterly Report

Entity Name: _____ Quarter: _____ Year: _____

1. Consumer Base

Consumer Category	Opening Balance	Additions	Disconnections	Closing Balance
PNG Domestic				
PNG Commercial				
PNG Industrial				
CNG				
Total				

2. Complaint Statistics

Category	Received	Resolved	Pending	Within Timeline	Beyond Timeline
Category A (Critical)					
Category B (High Priority)					
Category C (Normal)					
Total					

3. Subject-wise Complaint Analysis

Subject	Number of Complaints	% of Total	Average Resolution Time (days)
Connection delays			
Supply interruption			

Quality issues			
Meter issues			
Billing disputes			
Overcharging			
Customer service			
Safety issues			
Others			
Total			

4. Compensation Paid

Category	Number of Cases	Amount Paid (Rs.)
Delay in connection		
Supply interruption		
Billing errors		
Quality issues		
Complaint resolution delay		
Others		
Total		

5. Quality of Service Performance

Parameter	Target	Achieved	Variance	Remarks
New connections within timeline				
Complaint resolution within timeline				
Billing accuracy				
Supply availability				
Emergency response				

6. Consumer Awareness Activities

Activity	Number of Programs	Participants	Budget Spent (Rs.)
Workshops			
Campaigns			
Media advertisements			
School/College Programmes			
Others			
Total			

7. Escalations

Escalation Level	Number of Cases	Status
To senior management		
To Ombudsman		
To Board		
To consumer forums		

Quarterly data to be submitted within 30 days after completion of each quarter

Certified that the information provided above is true and correct.

Name and Signature of Principal Nodal Officer: _____

Date: _____

Seal of the Entity: _____

Schedule A: Format: CGD-9	ANNUAL QUALITY OF SERVICE REPORT FORMAT
----------------------------------	--

Entity Name: _

Financial Year: ____

Section I: Consumer Statistics

- (a) Number of consumers (category-wise, as on 31st March)
- (b) Number of new consumers added during the year
- (c) Number of disconnections during the year
- (d) Growth rate (%)

Section II: Connection Performance

Parameter	Target	Achieved	Achievement (%)	Remarks
PNG domestic connections provided				
PNG commercial connections provided				

PNG industrial connections provided				
Connections provided within timeline				
Average connection time (days)				

Section III: Supply Performance

Parameter	Instances	Remarks
Number of planned supply interruptions		
Average duration of planned interruptions		
Number of unplanned supply interruptions		
Average duration of unplanned interruptions		
Number of interruptions >24 hours		
Instances of quality non-compliance		
Instances of pressure non-compliance		

Section IV: Metering and Billing Performance

Parameter	Number	Remarks
Number of meter complaints		
Meters tested		
Meters found defective		
Billing accuracy (%)		
Number of billing complaints		
Billing errors rectified		

Section V: Complaint Handling Performance

Category	Received	Resolved	Pending	Within Timeline (%)
Category A (Critical)				
Category B (High Priority)				
Category C (Normal)				
Total				

Section VI: Compensation Paid

Type	Number of Cases	Amount (Rs.)
Connection delays		
Supply interruptions		
Billing errors		
Quality issues		
Complaint resolution delays		
Others		
Total		

Section VII: Consumer Satisfaction

- (a) Consumer Satisfaction Survey Score
- (b) Overall satisfaction rating: ____
- (c) Key strengths: ____
- (d) Areas for improvement: ____
- (e) Action plan for improvement: _

Section VIII: Consumer Awareness and Education

- (a) Number of consumer awareness programmes conducted: ____
- (b) Participants reached: ____
- (c) Budget spent on consumer awareness: Rs. __
- (d) Major campaigns/initiatives: ____

[To be submitted by 30th April every year for previous financial year]

Schedule A: Format: CGD-10	MONTHLY DPNG & CNG PRICE BREAKUP DATA SUBMISSION REPORT
-----------------------------------	--

DPNG & CNG Price Breakup data: On a monthly basis, in Public Interest, provide the DPNG and CNG price breakup data. Monthly DPNG Price Breakup Data Submission

1. Entity Name	
2. GA Name	
3. District	
4. Last Price Revision on (Date)	
5. Cost of Delivered Natural Gas to CGD entity (a+b+c+d)	
(a) Basic Cost (APM price) (~Rs. /MMBTU)	
(b) Pipeline Transportation Tariff in Rs. /MMBTU	
(c) GST on Transportation Tariff	
(d) State VAT (on a+b+c)	
6. Supply & Distribution Cost to CGD Entity	
7. Entity's Margin	
8. Basic Selling Price (5+6+7)	
9. VAT	
10. Any Other Tax (if applicable)	
11. Retail Selling Price (Rs. / SCM)	

Provided that Board may seek any further information in this regard.

2. Monthly CNG Price Breakup Data Submission

1. Entity Name	
2. GA Name	
3. District	
4. Last Price Revision on (Date)	
5. Cost of Delivered Natural Gas to CGD entity (a+b+c+d+e+f+g)	
(a) Basic Gas Cost (before Re-gasification) in Rs. / MMBTU	
(b) Regasification charges with GST (~Rs. / MMBTU)	
(c) State VAT	
(d) Marketing Margin of Seller	
(e) Pipeline Transportation Tariff (Rs. /MMBTU)	
(f) GST on Transportation Tariff	
(g) State VAT (on a+b+c+d+e+f)	
6. Supply & Distribution Cost to CGD Entity (i)+(ii)	
(i) Compression Charges	
(ii) Other charges	
7. Entity's Margin	
8. Basic Selling Price (5+6+7)	
9. Excise Duty	
10. VAT	
11. Any Other Tax (if applicable)	
12. Retail Selling Price (Rs. / Kg)	
The same has to be also uploaded through PNGRB e-portal, timely by 20th of succeeding month, and by 30th of succeeding month, (in case of Quarter month).	

Provided that Board may seek any further information in this regard.

Certified that the information provided is true and correct.

Name and Signature of Authorized Signatory: _____

Designation: _____ Date: _____

Seal of the Entity: _____

(Data formats have been included but bringing regulation on CBG will be subject to inclusion of CBG in the purview of PNGRB through proposed amendment in the PNGRB Act, 2006. Till amendment data may be collected on voluntary basis.)

Schedule A: Format: CGD-11	Intimation about operative CBG(Biomethane) Plants
-----------------------------------	--

(To be furnished by CBG Producers) : One Time

Schedule A: Format: CGD-14	Intimation about under construction/ planned pipeline infrastructure between CBG Plant and CGD network/ trunk NGPL on monthly Basis
-----------------------------------	--

(To be furnished by pipeline owner)

Month:.....

1	Owner of the pipeline	
2	Geographical Area or NGPL Network name	
3	Plan for Pipeline laying by CGD/NGPL/CBG entity/Other stakeholders	
4	Plan for connectivity of CBG plant with the Injection Point of CGD / NGPL Network (Yes/No)	
i	Plan commissioning date	
ii	Type of pipeline considered as MDPE/Steel	
ii	Total Length of the pipeline envisaged (Meters)	
iii	Diameter of the pipeline (Inches)	
iv	Plan MAOP of pipeline (kg/cm ²)	
v	Length of pipeline laid – Mechanically completed (Meters)	
5	Facilities considered and Physical progress at origin and injection Points (Details to be furnished in separate sheet)	

6	Registered for Financial Assistance	
i	Registered for Financial Assistance under DPI scheme (Yes/No)	
ii	Length of the pipeline considered under DPI scheme (Meters)	
iii	Financial assistance sought (In INR Lakh)	
iv	Length of the pipeline which can be considered under MWP Targets (Meters)	
7	Detailed Feasibility Report (copy to be attached)	
8	Geographical coordinates of origin of Pipeline	
i	Latitude	
ii	Longitude	
9	Geographical coordinates of CBG injection point (CGD network/Trunk NGPL)	
i	Latitude	
ii	Longitude	

1. Intimation of details shall be submitted on monthly basis. Data may be submitted within 15 days after completion of each month
2. In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' and 'N/A', if required information is not applicable.

Schedule A: Format: CGD-15	Information in respect of CBG sales within each GA and its obligations
-----------------------------------	---

Entity Name : _____ Financial Year : _____ Month : _____
 CBG Obligation % : 1, 3, 4 or 5: _____

Name of GA	ID of GA	CNG(T) & DPNG Sales (Kg) - (A)			CBG Sales (Kg) – (B)			Percentage sales of CBG v/s CNG(T)& DPNG – (C)			Quantity of surplus or deficit (+/-) in Kg w.r.t year wise obligate – (A vs B)		
		As on previous month	For the current month	Cumulative (Fin Yr)	As on previous month	For the current month	Cumulative (Fin Yr)	As on previous month	For the current month	Cumulative (Fin Yr)	As on previous month	For the current month	Cumulative (Fin Yr)
Total													

Quantity of cumulative surplus or deficit (in Kg) : Conversion Factor (Kg to SCMD) :
 Quantity of cumulative surplus or Deficit (in SCMD) :

Timelines for Report Submission: An entity shall submit the Progress Reports in Online Portal for each of the months of January, February, April, May, July, August, October, November within 20 days of the following month and for each of the months of March, June, September, December (Quarter end Months) within 30 days of the following month. The nodal officer appointed by the Entity shall be responsible for submission of correct data in timebound manner.
 FY 2025-26 @ 3%

Schedule-B (Natural Gas Pipeline)

**[Ref. Section 13(1) and 14(9) of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board
(Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural
Gas Pipelines) Regulations, 2008, Notified vide G.S.R 340 (E) dated
6th May, 2008]**

Schedule-B / Format: NGPL-1A					
Schedule-E / Format: E-1A- NGPL		Quarterly Progress Report on Natural Gas Pipelines: Physical Parameters			
1. Name of Entity					
2. Project Name					
3. Quarter			4. Financial Year		
Natural Gas Pipeline Details					
5. Total Authorised Length (km)		6. Total Welding Length (km)		7. Total Lowered Length (km)	
				8. Total Commission Length (km)	
9. Pipeline Section(s) details: -					
Name	State	Diameter (Inch)		Section Length (Km)	
Section 1					
...					
10. Acquisition Type	Status	Length (km)		Remarks	
ROU 3(i)					
ROU 6(i)					
ROU 8					
ROW 3					
11. Section Length	Welding Length (km)	Lowered Length (km)		Commissioned Length (km)	
For Quarter					
Cumulative (since inception)					
12. Spur line details in the section					
Spurline	State	Welding Length (km)	Lowered Length (km)	Commissioned Length (km)	Commissioned %
13. Project completion status		For Quarter		Cumulative	
		Commissioned %		Commissioned %	

Main Line including authorised spurline			
14. No. of Compressors, intermediate terminals & delivery terminals	Till last quarter	Added during quarter	Total at the end of quarter
Compressors Stations			
Total No of Compressors			
Delivery/ Dispatch Terminals			
Receiving Terminals			
Intermediate Terminals/ SV Stations/ Pigging Station			
Any Further information			
Note: 1. In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0'. 2. Report must be submitted within 30 days from the close of Quarter.			

Quarterly

Schedule-B/ Format: NGPL -1B		Quarterly Progress Report on Natural Gas Pipelines:			
		Financial Parameters			
1. Name of Entity					
2. Project Name					
3. Ownership Details	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
4. Report for the Quarter ending			5. Year		
All figures to be submitted in Lacs Rupees unless specified otherwise					
Capital Investments					
6. Fixed Assets		12. Revenue Earned			
Opening balance		13. Natural Gas Pipeline Tariff Charged			
Direct additions		Zone	Gas Transported	Tariff	Total
Transfer from Capital Work-in-Progress			(MMBTU)	(Rs./MMBTU)	Tariff
Deletions		Zone-1			
Closing balance		Zone-2			
7. Capital Work-in-Progress (CWIP)		Zone-3			
Opening balance		Zone-4			
Additions		Zone-5			
Transfer to fixed assets		Other income			
Deletions / Transfers		Total Revenue			
Closing balance		14. Profit / Loss			

8. Operating Expenses		Profit before tax	
Cost of goods sold		Tax	
Utilities - Power and Fuel		Profit after tax	
Salaries		15. Loans Status: (a) Term Loans	
Repair and maintenance		Opening balance	
Gen. administrative expenses		Added	
Insurance		Repaid	
Others		Closing balance	
Total Operating Expenses		Average Interest Rate (%)	
9. Financial Expenses		(b) Working Capital Loans	
Interest on Working capital		Opening balance	
Interest on term loans		Added	
Total Financial Expenses		Repaid	
10. Depreciation		Nett change	
11. Total Expenses		Average Interest Rate (%)	
16. Any other information (Please write in the box)			

17. Important guidelines for submitting the report:
1) In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' (2) Report must be submitted within 60 days from the close of Quarter. (3) A scanned copy of the report stamped & signed by a person of General Manager or above rank, duly authorized by Director of the company, should be uploaded within 10 days from date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report. (4) Annual report for the year-end (4th Quarter) should be submitted duly certified by a Chartered Accountant (CA) (5) Please ensure that sum total of figures submitted for four quarters of the year is equal to the company's audited annual data.

Monthly

[illegible]

13. Cum. Utilization % :	14. Any other information (Please write in the box)
15. Important instructions for submitting report:	
1) In case data is nil for any of the columns for the month, please enter zero '0'	
2) Report must be submitted by 20th of the following month by the transporting entity	

Periodic

Schedule-B/Format: NGPL -3**Format for declaring capacity of Pipeline**

1. Name of Entity:					
2. Name of Pipeline:					
3. Sectionwise Capacity on the Pipeline:					
(a) Number of Sections:					
(b) Details for Each Section:					
Section No.	Start Point	End Point	Capacity (Volume)	Capacity (Energy)	
1					
2					
4. Number of Authorized Hubs/Agencies (AHAs):					
5. Number of Entry Points on the Pipeline Route:					
6. Location of Entry Points:					
Entry Point No.	Location (Coordinates/Description)				
1					
2					
7. Number of Exit Points:					
8. Location of Exit Points:					
Exit Point No.	Location (Coordinates/Description)				
1					
2					
9. Entry Point-wise Capacity:					
Entry Point No.	Capacity (Volume)		Capacity (Energy)		
1					
2					
10. Exit Point-wise Capacity:					
Exit Point No.	Capacity (Volume)		Capacity (Energy)		
1					
2					
11. Technical Parameters:					
(a) Inlet Pressure at Entry Point:					
(b) Calorific Value Band at Entry Point:					
(c) Temperature:					
(d) Other Elements (as per Schedule - II):					
12. Status of Extra Capacity Available (Common Carrier Basis):					
[Yes/No; If Yes, provide details of volume/energy and available duration]					

13. Details of Common Carrier Capacity Being Used by Transporter (Own or Contract Basis):*[Provide volume/percentage, user details, duration]***14. Any Demand Pending for Common Carrier Usage (with Duration):***[Yes/No; If Yes, list pending users, dates of request, and status]***15. Preference on Entry and Exit Points:***[Specify if transporter gives any preference; include commercial or operational constraints if any]***Annual****Schedule-B / Format: NGPL -4****Format for providing the information of imbalance and overrun charges****Format for proving quarterly information:**

Information for the Quarter ... of Financial Year 20...-20...

Name of Natural Gas Pipeline:

	Name of Shipper	Invoiced Amount	Amount Outstanding	Amount Received
Month 1	Shipper 1	-	-	-
	Shipper 2	-	-	-
	Shipper 3	-	-	-
	Shipper 1	-	-	-
Month 2	Shipper 2	-	-	-
	Shipper 3	-	-	-
Month 3	Shipper 1	-	-	-
	Shipper 2	-	-	-
	Shipper 3	-	-	-
TOTAL		-	-	-
Taxes and levies (part of invoice, to be deposited with statutory authorities)		-	-	-
Amount transferred to escrow account				-

(To be submitted by 30th April every year for previous financial year)

Annual

Schedule-B / Format: NGPL -5

Format Providing annual information:

Information for the Financial Year 20...-20...

Name of Natural Gas Pipeline:			
Quarter	Invoiced Amount	Amount Outstanding	Amount Received
Quarter 1	-	-	-
Quarter 2	-	-	-
Quarter 3			
Quarter 4			
Total			
Taxes and levies (part of invoice, to be deposited with statutory authorities)			
Amount transferred to escrow account			

(To be submitted by 30th April every year for previous financial year)

Annual

Schedule-B / Format: NGPL -6 [see regulation 5(5)(a)(x)]

Format for furnishing information regarding determining capacity of Natural Gas Pipeline

[Financial Year: 20.... - 20....]

1	Name of Entity	
2	Address & Contact details of Entity	
3	Name of Natural Gas Pipeline	
4	Name of Software package used	
5	Approved Flow equation used (mention name of flow equation)	
6	Details of injection/entry point and delivery/exit points and sections on the pipeline	
7	Composition of natural gas	
8	Entity agrees to have considered the Technical standards, specifications and safety standards as specified by the Board	Yes/ No
9	Entity agrees to have considered the relevant provisions of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations	Yes/ No
10	Constant and variable parameters used under steady state conditions for determining capacity of the pipeline	
11	Capacity of the pipeline under existing operating conditions	
12	Maximum achievable Capacity of the pipeline under steady state conditions as determined under [regulation5] of these regulations	
13	Section wise maximum achievable capacity of the pipeline as determined under [regulation] 5 of these regulations	
14	Expected addition of entry points and exit points scheduled in near future	

(To be submitted by 30th April every year for previous financial year)

Schedule-C / Format: PPPL- 1A			
Schedule-E / Format: PPPL-1A		Quarterly Progress Report on Petroleum Product Pipelines: Physical Parameters	
1. Name of Entity			
2. Project Name			
3. Quarter		4. Financial Year	
Petroleum and Petroleum Products Pipeline Details			
5. Total Authorised Length (km)	6. Total Welding Length (km)	7. Total Lowered Length (km)	8. Total Commission Length (km)
9. Pipeline Section(s) details: -			
Name	State	Diameter (Inch)	Section Length (Km)
Section 1			

...			
10. Acquisition Type	Status	Length (km)	Remarks
ROU 3(i)			
ROU 6(i)			
ROU 8			
ROW 3			
11. Section Length	Welding Length (km)	Lowered Length (km)	Commissioned Length (km)
For Quarter			
Cumulative (since inception)			
12. Spur line details in the section			
Spurline	State	Welding Length (km)	Lowered Length (km)
13. Project completion status	For Quarter		Cumulative
	Commissioned %		Commissioned %
Main Line including authorised spurline			
14. No. of Pumps, intermediate terminals & delivery terminals	Till last quarter	Added during quarter	Total at the end of quarter
Pumps Stations			
Pumps			
Delivery/ Dispatch Terminals			
Receiving Terminals			
Intermediate Terminals/ SV Stations/ Pigging Station			
Any Further information			
Note: - In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0'. - Report must be submitted within 30 days from the close of Quarter.			

Schedule-C / Format: PPPL- 1B		Quarterly Progress Report on Petroleum Pipelines: Physical Parameters	
1. Name of Entity			
2. Project Name			
3. Ownership Details	Name	Share%	
	Name	Share%	
	Name	Share%	
	Name	Share%	
4. Report for the Quarter ending		5. Year	
All figures to be submitted in Lacs Rupees unless specified otherwise			
Capital Investments			
6. Fixed Assets		12. Revenue Earned	
Opening balance		Transmission of Petroleum Products	
Direct additions		Other income	
Transfer from		Total Revenue	

Capital Work-in-Progress			
Deletions / Transfers		13. Profit/Loss	
Closing Balance		Profit before tax	
7. Capital Work-in-Progress (CWIP)		Tax	
Opening balance		Profit after tax	
Additions		14. Loans Status	
Transfer to fixed assets		(a) Term Loans	
Deletions / Transfers		Opening balance	
Closing balance		Added during quarter	
8. Operating Expenses		Repaid during Qtr.	
Cost of goods sold		Closing balance	
Utilities - Power and Fuel		Average Interest Rate (%)	
Salaries		(b) Working Capital Loans	
Repair and maintenance		Opening balance	
Gen. administrative expenses		Added	
Insurance		Repaid	
Others		Nett change	
9. Financial Expenses		Average Interest Rate (%)	
Interest on Working capital borrowings		15. Any other information (Please write in the box)	
Interest on term loans			
10. Depreciation			
11. Total Expenses			
16. Important guidelines for submitting the report:			
(1) In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' (2) Report must be submitted within 60 days from the close of Quarter. (3) A scanned copy of the report stamped & signed by a person of General Manager or above rank, duly authorized by Director of the company, should be uploaded within 10 days from date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report. (4) Annual report for the year-end (4th Quarter) should be submitted duly certified by a Chartered Accountant (CA) (5) Please ensure that sum total of figures submitted for four quarters of the year is equal to the company's audited annual data.			

Schedule-C / Format: PPPL- 2		Monthly Report on Petroleum Pipeline Throughput	
1. Name of Entity			
2. Project Name			
3. Month		4. Year	
5. Length (Kilometers)		6. Design Capacity (MMT)	
7. Lowered Length (km)-		8. Welded Length (km)-	9. Hydrotested Length (km)-
10. Months	11. Pipeline Throughput Data (in MMT up to 3 decimals)	12. Cum. Capacity Utilization (%)	
	Monthly	Cumulative	
April			
May			
June			
July			
August			
September			
October			
November			
December			
January			
February			
March			
13. Any other information (Please write in the box)			
14. Important instructions for submitting report:			
(1) In case data is nil for any of the columns for the month. Please enter zero '0' (2) Report must be submitted by 20 th of the following month (3) A scanned copy of the signed & stamped report must be uploaded within 7 days from the date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report.			

Schedule-C (Petroleum and Petroleum, Products Pipeline)**Annual**

[Ref. Section 13(1) and 14 (9) of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, Notified vide G.S.R. 722(E) dated 1st September, 2010]

Schedule-C / Format: PPPL-3

**Format for furnishing information regarding determining capacity of Petroleum and Petroleum Products Pipeline
[Financial Year: 20.... - 20....]**

1	Name of Entity	
2	Address and Contact details of Entity	
3	Name of Petroleum and Petroleum Products Pipeline	
4	Name of Software package used for determining capacity	
5	Approved Flow equation used (mention name of flow equation)	
6	Details of injection/entry point and delivery/exit points and sections on the pipeline	
7	Quality of various products being transported in the pipeline	
8	Constant and variable parameters used under steady state conditions for determining capacity of the pipeline	
9	Entity agrees to have considered the Technical standards, specifications and safety standards as specified by the Board	Yes/ No
10	Entity agrees to have considered the relevant provisions of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations	Yes/ No
11	Quality specifications considered for the purpose of capacity determination	

12	Capacity of the pipeline under existing operating conditions	
13	Maximum achievable Capacity of the pipeline under steady state conditions as determined under [regulation] 5 of these regulations	
14	Section wise maximum achievable capacity of the pipeline as determined under [regulation] 5 of these Regulations	

(To be submitted by 30th April every year for previous financial year)

Schedule-D (Technical Standards and Specifications including Safety Standards (T4S))

[Ref. Section 23.0 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP))

Regulations, 2010, Notified vide G.S.R. 39(E) dated 18th January, 2010]

Schedule-D / Format: Technical-1**INCIDENT REPORTING FORMAT**

1. Organisation		2. Sector	
3. Location		4. Incident Sr. No.	
5. Date of Incident		6. Time of Incident	
7. Major / Minor / Near miss		8. Report - Preliminary / Final	
9. Fire / Incident		10. Duration of fire - Hrs / Min	
11. Type of Incident with loss of life / injury, Fire, Explosion, Blowout, Electrocution, Fall from Height, Inhalation of Gas, Driving, Slip / Trip, Others, NA			
12. Location of Incident (Name of Plant / Unit / Area / Facility / Tank farm / Gantry / Road / Parking area etc)			
13. Whether plant shutdown / caused outage of the facility? Yes / No			
14. Fatalities nos.	a) Employees =	b) Contractor =	c) Others =
15. Injuries nos.	a) Employees =	b) Contractor =	c) Others =
16. Man - hours Lost	a) Employees =	b) Contractor =	c) Others =
17. Direct Loss due to the incident (Rs. In Lacs). Loss to equipment / Machinery as per Insurance claim etc.			
18. Indirect Losses: Through put / Production Loss, etc.			
19. Status of the Facility: Construction / Commissioning / Operation / Shutting down / Turn around, Maintenance / Startup / Any other.			
20. Brief Description of the Incident including post incident measures. (Attach details in separate sheet)			
21. Whether similar Incident has occurred in past at the same location, If yes, give brief description of the incident and attach details in separate sheet.			
22. Whether Internal Investigation has been completed. If no, likely date by which it will be completed.			
23. Whether internal investigation report (Major Incident) has been submitted to PNGRB. If no, likely date by which it will be submitted.			
24. Cause of the Incident (Tick the most relevant cause preferably one, maximum two)			
A) Deviation from Procedure		I) Not using the PPE	
B) Lack of Job Knowledge		J) Equipment failure	
C) Lack of supervision		K) Poor design / Layout etc.	
D) Improper Inspection		L) Inadequate facility	
E) Improper Maintenance. (Mech. / Elec. / Inst)		M) Poor House Keeping	
F) Improper material handling		N) Natural Calamity	

G) Negligent Driving		O) Pilferage / Sabotage
H) Careless walking / climbing etc.		P) Any other (give details)
25. Cause of leakage - Oil, Gas or Chemical (Tick one only)		
A) Weld leak from equipment / lines		E) Leakage due to improper operation
B) Leak from flange, gland etc.		F) Leak due to improper maintenance
C) Leak from rotary equipment		G) Normal operation - Venting / draining
D) Metallurgical failure		H) Any other
26. Cause of Ignition leading to fire (Tick only one cause)		
A) Near to hot work		F) Static Electricity
B) Near to Furnace / Flare etc.		G) Hammering / Fall of object
C) Auto - ignition		H) Heat due to Friction
D) Loose electrical connection		I) Lightning
E) Near to hot surface		J) Any other (pyrophoric etc)
27. Was the incident Avoidable? (Yes / No)		
28. The incident could have been avoided by the use of / or by; (Tick the most relevant point preferably one, maximum two)		
A) Better supervision		F) Personal Protective Equipment
B) Adhering to specified operating procedure		G) Better equipment
C) Imparting Training		H) Management Control
D) Giving adequate time to do the activity through proper planning.		I) Adhering to specified maintenance procedure
E) Adhering to the work permit system		J) Adhering to specified Inspection / Testing procedures.
K) Any other information;		

Guidelines for filling the Incident Report:

1. All incidents covered under Minor Incident and Near Misses should be maintained by the entity for inspection in the format as specified.
2. 'Major' Incident shall be reported to the PNGRB in the format specified and the report should be submitted within 48 hours after occurrence of the incidents. However, First Information Report (FIR) on 'Major' Incident shall be intimated to PNGRB through telephone, email or SMS immediately or but not later than 4 hours of occurrence.
3. All Major, Minor and Near miss incidents shall be reported in the quarterly report.
4. Incident Reporting form shall be filled up for all Major, Minor and Near miss Incidents.
5. Summary report shall be enclosed with every quarterly report.
6. Investigations shall be carried out for all Major, Minor and Near miss Incidents.
7. Investigation report of all Major incidents shall be submitted to PNGRB. An incident shall be treated as Major if any of the following occurs;
 - Fire for more than 15 minutes
 - Explosion / Blowout
 - Fatal Incident.
 - Loss above [Rs. 20 Lac].
 - Cumulative man hours lost more than 500 hrs.
 - Plant Shutdown / Outage due to the incident
8. Loss time Incident shall be monitored till the affected person joins duty. In case the affected person is yet to join the duty, then the status of report submitted will be preliminary. Final report against the same incident shall be sent once he joins duty and the man - hours lost are known.
9. All columns must be filled up.
10. For any additional information use separate sheets as required.
11. Quarterly report shall be sent to PNGRB within 15 to 30 days of end of quarter.
12. Immediate reporting of incident through fax/telephone shall continue as per the prevailing system

Schedule-D: Technical-2 (Sustainability (Gas Operations, Monitoring, Leaks & Losses))

GAS OPERATIONS & MONITORING IN CGD (FORMAT)						
Name of Entity						
GA Name						
GA ID						
Sl. no	Particulars	Quantity (SCM) FY 2022-23	Quantity (SCM) FY 2023-24	Quantity (SCM) FY 2024-25	Quantity (SCM) FY 2025-26	Remarks
						Purchase figures need to be converted to SCM using a common GCV conversion factor commonly used across all GAs of the entity
A	Gas Purchase					Gas Purchase including all types of Gas like APM, NAPM, RLNG, CBG etc.
	(As per Sourcing details from Marketing)					
1	APM					
2	Non APM (includes all domestic sources viz New Well Gas, HPHT etc.)					

3	RLNG (includes all imported sources viz a viz long-term, spot purchase, etc.)					
4	CBG					
5	Purchase from other CGD entities					
6	Stock Received from other GAs within same entity					
	Total gas purchased					
B	Gas sales					
1	CNG					CNG sales includes total Online CNG Sales, DBS sales, Daughter Stations etc.)
1.1	Online					
1.2	DBS					
1.3	Daughter Stations					
	Total CNG sales					
2	CBG					
3	PNG-Industrial					
4	PNG-Commercial					
5	PNG-Domestic					
6	Gas Sale to other CGD entities					
7	Stock Transferred to other GAs within same entity					
8	Internal consumption					Internal Consumption includes Captive consumption for Compressors & Gas Gensets
8.1	Captive Consumption for Compressors and Gas					
8.2	Captive Consumption for Gensets					
	Total IC					
	Total gas sale					
C	Addition to Line pack					Cumulative of steel/mdpe line commissioned/De-commissioned for the entire year. (use positive figures for commissioned and negative figures for de-commissioned)
1	Cumulative Steel Pipeline commissioned (+ figures)/De-commissioned (- figures)					
2	Cumulative MDPE Pipeline commissioned (+ figures)/De-commissioned (- figures)					
	Variation (A-(B+C))					
	% Variation					
	Overall Error with respect to GAIL purchase (Weighted Average)					
D	Operational Losses					
1	CNG station losses					Actual Difference between Compressor Suction minus Internal Combustion minus Discharge for all packages for entire year
1.1	CNG Package Loss					
1.2	CNG Discharge vs Sales loss					Compressor Discharge Vs Dispenser Sales Difference

		Consumption									
4		Account for Gases									
	4.1	Accounted:									
	a	Maintenance Usage									
	b	Venting Planned									
	c	Emergency Blow									
	d	Pigging									
	D	Total Accounted Gas									
	4.2	Unaccounted for Gas (UFG):									
	a	Venting Unplanned									
	b	Any Other									
	E	Total Unaccounted for Gas									
5		Line Pack									
	5.1	Opening line pack									
	5.2	Closing line pack (expected)									
	5.3	Closing line pack (actual)									
6		Unaccounted for Gas (UFG)									
	6.1	Unaccounted %									
	6.2	Targeted UFG %									
	6.3	UFG (in rupees crores, as per below calculation)									

Cumulative Deliveries		Volume (mmscm)		
		Energy (mmbtu)		
Note - 1. Energy values are in GHV basis 2. Insert additional rows in receipt and deliveries sub heads if required				
FY (2025-26)	Types of gas for UFG Accounting	Price (\$/MMBTU)	Quantity (MMBTU)	Value (\$)
	RLNG			
	HPHT			
	APM			
	Any others			

	Total			
	Exchange rate (Rs/\$)			
FY (2024-25)	Types of gas for UFG Accounting (FY-1)	Price (\$/MMBTU)	Quantity (MMBTU)	Value (\$)
	RLNG			
	HPHT			
	APM			
	Any others			
	Total			
	Exchange rate (Rs/\$)			
FY (2023-24)	Types of gas for UFG Accounting (FY-2)	Price (\$/MMBTU)	Quantity (MMBTU)	Value (\$)
	RLNG			
	HPHT			
	APM			
	Any others			
	Total			
	Exchange rate (Rs/\$)			
FY (2022-23)	Types of gas for UFG Accounting (FY-3)	Price (\$/MMBTU)	Quantity (MMBTU)	Value (\$)
	RLNG			
	HPHT			
	APM			
	Any others			
	Total			
	Exchange rate (Rs/\$)			

To be submitted by 30th April every year for previous financial year

Schedule-E (LNG Terminals)

[Ref. Section 9 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Registration for Establishing and Operating Liquefied Natural Gas (LNG) Terminals] Regulations, 2025, Notified vide G.S.R. 360(E) dated 8th May, 2025]

Schedule-E / Format: LNG-1

Bi-Annual

[Submission of Information to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) as on 1st April/ and 1st October of every year under the provisions of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Registration for Establishing and Operating Liquefied Natural Gas (LNG) Terminals], 2025 (See regulation 9)]

1	Name of the Entity	
2	Date of certificate of registration issued by the PNGRB	
3	Total re-gasification capacity	MMTPA
4	Long term committed capacity that is to say for 5 years or more	MMTPA
5	Short term committed capacity that is to say less than 5 years	MMTPA
6	Number of cargo handled	For own use
		For third party
7	Total volume handled	For own use
		For third party
8	Capacity utilisation	%
9	Current re-gasification charges	Rs/ MMBTU
10	Current truck loading charges	Rs/ MMBTU
11	Handling gas losses charged	%
12	Other charges levied	

Schedule-F (Other Charges)

[Ref. Section 4(7) of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, Notified vide G.S.R. 732(E) dated 26th November, 2007]

Details of other charges payable and paid as per part A of the Table under regulation 4(1) for the financial year 20..-..

Name of entity				
Address of the entity				
(a) Details of Other Charges paid or payable in respect of CGD Networks				
Name of the CGD Networks (GA)	Population as per 2011 Census of India	Financial year from the start of grant of authorization or acceptance thereof by the Board	Other charges paid or payable (Rs.)	Remarks
1.				
2.				
3.				
....				
Sub-Total – (a)				
(b) Details of Other Charges paid or payable in respect of Pipelines				
Name of the Pipeline (Natural Gas and Petroleum or Petroleum Products)	Revenue (excluding taxes) accrued during the previous financial year		Other Charges paid or payable	Remarks
1.				
2.				
3.				
....				
Sub-total- (b)				

Total- (a)+(b)			
<u>Details of remittance</u> Demand Draft or pay order No./Ref No. of Electronic payment, Date of Issue or Payment, Bank and branch at which payable Amount (in Rupees)			

(To be submitted by 30th April every year for previous financial year)

Schedule G: Format: SP-1	Refining, Transportation and Storage of Petroleum Products
---------------------------------	---

	Add if any Depot / terminal not included	Unit (KL)	(in Days) Based in Total Dispatch	Refinery Name	Unit (KL)	Unit (KL)	Unit (KL)	Unit (K)		In Cr.	Enter KM Distance for tariff calculation		
S.No.	Depot / Terminal Name (State)	Storage capacity (MS/HSD/ATF)	Coverage (MS/HSD/ATF)	MS/HSD/ATF (Received from)						Transportation Cost			
				Source -1	Via Rail	Via Road	Via Coastal	Via Pipeline	Pipeline Name (If Applica ble)	Rail	Road	Coastal	Pipeline
1													
2													
3													
4													

Data may be submitted within 15 days after completion of each Quarter

Schedule G: Format: SP-2	Refining, Transportation and Storage of LPG
---------------------------------	--

Name of Entity:			Unit	Unit	(In Days) against Despatches.	Name	Unit	In Cr.	Enter KM Distance for tariff calculation	Name only					
			(TMTPA)	(MT)			(TMTPA)	Transportation cost incurred				Area served through Secondary transportati on (Name of Districts)			
S.No.	Bottling Plant Name	Connected Via (Pipeline / Rail / Road / Coastal)	Bottling Capacity	Storage capacity	Coverage	Source of LPG received	Mode of Transport								
							Pipeline	Road	Rail	Local Pipeline					
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															

Data may be submitted within 15 days after completion of each Quarter

Schedule G: Format: SP-3	Transportation Cost and Quantities
---------------------------------	---

Name of Entity :				Product: LPG/Multiproduct		
Year	Transportation Cost in Rs/ MT			% of quantity transfer by various mode of transport		
	Rail	Road	Pipeline	% Rail	% Road	% Pipeline
FY-17						
FY-18						
FY-19						
FY-20						
FY-21						
FY-22						
FY-23						
FY 24						
FY 25						

To be submitted by 30th April every year for previous financial year

Schedule G: Format: SP-4	Details of Tank Trucks
---------------------------------	-------------------------------

Year	Name of Entity	Size of Tank Truck (Used in Primary Transportation)	Number of Tankers	Used for (LPG, MS+HSD+ATF)
FY 25				
FY26				

To be submitted by 30th April every year for previous financial year

Schedule G: Format: SP-5	Details of Rail Wagons used in Primary Transportation of Petroleum Products
---------------------------------	--

Year	Entity	Size of Rail Wagon (Used in Primary Transportation)	Number of Rail Wagons owned by Indian Railways	Used for (LPG, MS+HSD)
FY 25				
FY26				

To be submitted by 30th April every year for previous financial year

Name of Entity:

Schedule G: Format: SP-6							Details of Fractionators with connectivity details		
S.No.	Name of the Fractionators	Capacity (MMTPA)	LPG Produced(MMTPA)	Lat	Long	State	Connected to (Pipeline / Rail / Road / Coastal)	Name of the Pipeline	Remarks
1									
2									
3									
4									
5									

To be submitted by 30th April every year for previous financial year

Schedule-H / Format: NHIMS-1

NHIMS Data Schema (BP-1)		
S. No	Pipeline Information	Remarks
1	Entity Name	
2	Name of Pipeline	
3	Pipeline Id	
4	Type	PPPL / NGPL / CGD
5	If PPPL, Product of PPPL	LPG, ATF, Multi-product
6	Authorized length	Km
7	Operating length	Km
8	Under Construction length	Km
9	Authorization date	
10	Authorised capacity	MMSCMD (NGPL) KL (PPPL)
11	Capacity on Common Carrier Basis	SCMD (NGPL) KL (PPPL)
12	Design Pressure	Bar
13	Design Temperature	Degree Celsius
14	No. of Entry Points	No. of Sources
15	No. of Exit Points	
16	No. of Compressor / Pump	
17	No. of Storage Depot / Terminal / LPG Bottling Plant	In case of PPPL
18	No. of Clients	
19	Pipeline Operational Status	(Full / Partially / Maintenance)
20	Operational Month/ Year	

Schedule-H / Format: NHIMS-2

NHIMS Data Schema (BNP-2)		
S. No	Compressor Station (for NGPL)	Remarks
1	Pipeline ID	
2	Compressor Station	ID by Entity
3	No. of Compressors	
4	State	
5	District	
6	Address	
7	Pin code	
8	Location latitude	
9	Location Longitude	

Schedule-H / Format: NHIMS-3

NHIMS Data Schema (BP-3)		
Source / Entry Point		
1	Entity	
2	Pipeline ID	
3	Entry Point	Refinery LNG Terminal ONGC CBG / Pipeline Others
4	Source ID	Unique Id by Entity
5	Source Name	
6	State	
7	District	
8	Address	
9	Pin code	
10	Location Latitude	
11	Location Longitude	
12	Contract Volume	SCMD (NGPL) KL (PPPL)

Schedule-H / Format: NHIMS-4

NHIMS Data Schema (BPP-4)		
S. No	Pumping Station (for PPPL)	Remarks
1	Pipeline ID	
2	Pumping Station	ID by Entity
3	No. of Pumps	
4	State	
5	District	
6	Address	
7	Pin code	
8	Location latitude	
9	Location Longitude	

Schedule-H / Format: NHIMS-5**Real-time**

NHIMS Data Schema (BPP-5)		
S. No	Storage Depot / Terminal / LPG Bottling Plant (for PPPL)	Remarks
1	Entity	
2	Storage Depot/ Terminal / LPG Bottling Plant (Name & Id)	Unique Id by Entity
3	State	
4	District	
5	Address	
6	Pin code	
7	Location Latitude	
8	Location Longitude	
9	Product capacity (ATF, LPG, MS, HSD, Naphtha, Kerosene, Fuel Oils, Bitumen, Petroleum Coke, Etc.) in KL	Product in separate column

Schedule-H / Format: NHIMS-6

NHIMS Data Schema (BP-6)		
S. No	Client Details (NGPL / PPPL)	Remarks
1	Entity	
2	Pipeline ID	
3	Exit Point	Unique Id by Entity
4	Client ID	Unique Id by Entity
5	Client Name	
6	State	
7	District	
8	Address	
9	Pin code	
10	Location Latitude	
11	Location Longitude	
12	Contract Capacity	SCMD (NGPL) KL (PPPL)
13	Contract Minimum Pressure	Range (Bar (Kg/cm ² g))
14	Client as per Sector	One of 15-21 items below
15	Power	
16	Fertilizers	
17	City Gas	
18	Petrochem & Refineries	
19	Sponge Iron & Steel	
20	Aviation	
21	Others /Internal Consumption	

Schedule-H / Format: NHIMS-7

NHIMS Data Schema (TN-1)		
S.No	Transactional Entry for NGPL (through API)	Remarks
1	Entity	
2	Pipeline ID	
3	Date	D+1
4	Time (24Hrs format)	HH:MM
5	Entry Point / Source	ONGC / PLL/Konban/CBG etc
6	Capacity In	In SCMD
7	Volume In on date	in SCMD
8	Operating Pressure	Bar
9	Operating Temperature	Degree Celsius
10	Gross Calorific Value	Kcal/SCM
11	Specific Gravity	Number
12	Methane	Mole %
13	Ethane	Mole %
14	Propane	Mole %
15	Iso Butane	Mole %
16	Nbutane	Mole %
17	Isopentane	Mole %
18	Hexane	Mole %
19	Octane	Mole %
20	Nitrogen	Mole %

21	Carbon Dioxide (less than)	Mole %
22	Water Vapor (less than)	Mole %
23	Sulphur (Less Than)	PPM
24	Hydrogen Sulphide (less than)	PPM
25	Oxygen (Less than)	Mole %
26	Total inerts (Less Than)	Mole %
27	Hydrocarbons dew pt (less than)	Degree Celsius
28	Water Dew pt (Less than)	Degree Celsius

Schedule-H / Format: NHIMS-8

NHIMS Data Schema (TN-2)		
S. No	Transactional Exit for NGPL (through API)	Remarks
1	Entity	
2	Pipeline ID	
3	Date	D+1
4	Time (24Hrs format)	HH:MM
5	Exit Id	
6	Client ID	
7	Volume Out	in SCMD

Schedule-H / Format: NHIMS-9

NHIMS Data Schema (TP-3)		
S. No	Transactional PPPL (through API) Storage Depot / Terminal / LPG Bottling Plant	Remarks
1	Entity	
2	Storage Depot/ Terminal / LPG Bottling Plant (Name & Id)	Unique Id by Entity
3	Date	D+1
4	Time (24 Hrs format)	HH:MM
5	Daily Product In (ATF, LPG, MS, HSD, Naphtha etc.) in KL	Product in separate column
6	Daily Product Out (ATF, LPG, MS, HSD, Naphtha etc.) in KL	Product in separate column

Schedule-H / Format: NHIMS-10

NHIMS Data Schema (TP-4)		
S. No	Transactional PPPL Entry (through API)	Remarks
1	Entity	
2	Pipeline Id	
3	Source / Entry Point ID	Refinery / Pipeline
4	Date	D+1
5	Time (24 Hrs format)	HH:MM
6	Daily Product In (ATF, LPG, MS, HSD, Naphtha etc.) in KL	Product in separate column

Schedule-H / Format: NHIMS-11

Real-time

NHIMS Data Schema (TP-5)		
S. No	Transactional PPPL Exit (through API)	Remarks
1	Entity	
2	Pipeline Id	
3	Storage Depot / Terminal / LPG Bottling Plant Id / Pipeline / Client Id	
4	Date	D+1
5	Time (24 Hrs format)	HH:MM
6	Daily Product Out (ATF, LPG, MS, HSD, Naphtha etc.) in KL	Product in separate column

Notes

S. No	Attributes	Remarks
1	Entity	GAIL, GSPL, IOCL, PIL
2	Pipeline ID	Pipeline Unique Id provided by PNGRB (Example 17.10 for Dadri-Panipat)
3	Date	D+1 (Data of 15/08/2025 will be submitted on 16/08/2025 at 06:00 Hrs)
4	Client ID	Client ID as given by entity in SAP / any other system.
5	CBG	Compressed Bio-Gas